

सर्वेक्षण के लिए निम्नलिखित विवरणों का प्रस्तुत किया जाता है।

विषय: सर्वेक्षण का कार्य (निम्नलिखित विवरणों के लिए), जिसका
परिणाम पत्रिका सं/क्र. 3-431/95. 863 दिनांक 18.5.06 है।
कार्योन्मुख के शोधकार्य में का कार्य कार्य के लिए शोधकार्य
बातों का 15% कार्यालय रुप 24,000/- (दोषियों के लिए) का कार्य
की कार्य के लिए कार्य है, जिसके लिए कार्य कार्य, कार्य कार्य
के पत्रिका के निम्नलिखित कार्य का कार्य के लिए कार्य है।
कार्यकार्य कार्य कार्य 7

गी.डी.
7-7-06

र.प. (अ.क.)
7-7-06

Chaque NO 990636
Date 8-7-06
RS. 24000/-



प्रमाणित पत्र

143925-2

उपलब्ध कर

उपयोगिता प्रमाण-पत्र/ माप पुरितका के अनुसार

तक निर्माण कार्य हो चुका है तथा रुपये 156538-2

प्रमाण-पत्र प्रस्तुत है। विद्यालय शिक्षा समिति को बिली कर रुपये

रामल्टी रुपये 2348-20 की कटौती करते हुए अगले

7134-20 रुपये उपलब्ध कराने का आदेश देना चाहेंगे एवं अन्य

शिक्षियों का समायोजन करते हुए संधिका बन्द करने का आदेश देना चाहेंगे।

सचिव

14.08.07

24/8/07

3/18

| | |
|---------------|-----------|
| Advance | 143925-20 |
| Asp. MB | 156538-20 |
| C. Reg. | 2348-20 |
| VAT | 2121-20 |
| Bank | 151059-20 |
| Balance sheet | 7134-20 |

A. No. 823 208/17.07
Rs. 7134-20

hmb
17.8.07

1

श्री शुभम सिंह

अध्यक्ष, विद्यालय शिक्षा समिति और प्रखण्ड संसाधन केंद्र समन्वयक द्वारा

~~प्रखण्ड संसाधन केंद्र~~ समिति के बीच रुद्र उग्र

निर्माण हेतु एकराशनामा किया गया तथा निम्नलिखित की

प्रस्थिति में हस्ताक्षर किया गया और प्रस्तुत किया गया।

प्रथम पक्ष

द्वितीय पक्ष

प्रखण्ड संसाधन केंद्र समन्वयक
(पुरा नाम, हस्ताक्षर एवं मुहर)

शुभम सिंह

1. अध्यक्ष

(i) पुरा नाम - श्री शुभम सिंह

(ii) हस्ताक्षर - श्री शुभम सिंह

2. सचिव

(i) पुरा नाम - मीना देवी

(ii) हस्ताक्षर - मीना देवी

3. प्रधानशिक्षक

(i) पुरा नाम -

(ii) हस्ताक्षर -

शुभम सिंह
शुभम सिंह

खाता सं० - 608

बैंक का नाम - श्री आपरेएव बैंक, मदनपुर

समिति का मुहर -



(2)

- (4) सुनिश्चित करेगा कि सामग्री की खरीदारी आवश्यकतानुसार एनेक्चर-1 के अनुरूप हो (आई. एस. आई.) प्रमाणित सामग्री जहाँ तक सम्भव हो खरीदारी में प्राथमिकता दी जाय तथा यह राष्ट्रीय क्रय प्रक्रिया के तहत विभिन्न चरणों के लिए खरीदी जाय जैसा कि विश्व बैंक खरीदारी निर्देश में अंकित है।
 - (5) नियमित रूप से कार्य की प्रगति का पर्यवेक्षण और अनुश्रवण करेगा तथा पर्यवेक्षक/अभियंता द्वारा दिये गये तकनीकी सलाह/निर्देश का पालन करेगा।
 - (6) किसी भी प्रकार की अनिगमितता को पहले पक्ष के प्रतिनिधि, प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी/निरीक्षक/सहायक अभियंता को सूचित करेगा और आवश्यक स्पष्टीकरण मांगेगा।
 - (7) यह सुनिश्चित करेगा कि कार्य नक्शे और प्रारूप के अनुरूप, कुल प्राक्कलित राशि के अन्दर सामग्री की कीमत घटने बढ़ने के बावजूद किया जा सकेगा।
 - (8) प्रखण्ड संसाधन केन्द्र को कार्य की प्रगति से अवगत कराता रहेगा।
 - (9) निर्माण के दौरान पैसा/सामग्री के गलत उपयोग को रोकेंगा।
 - (10) सभी प्रकार के ड्यूटी के तहत चलाने करने का प्रावधान है। (प्रथम पक्ष नियम और कानून के तहत इस प्रकार के टैक्स की कटौति कर सकती है।)
- 7.2 विशेष परिस्थिति में दूसरा पक्ष पहले पक्ष के स्वीकृति से निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए पीस तक बंटिस (छोटे-छोटे स्तर) पर कार्य करा सकते हैं या किसी सुयोग्य गैर सरकारी संस्था या गान्य निर्माण संस्था जिसका पुराना रिकार्ड लोक भागीदारी में अच्छा रहा है से कार्य करवा सकते हैं। इस परिस्थितियों में गैर सरकारी संस्था/निर्माण संस्था की जिम्मेदारी किसी भी प्रकार की सामग्री के खाने या चोरी होने की, नफा या मजदुर क्षतिपूर्ति भुगतान तथा अन्य घटनाओं के लिए तथा अन्य इस प्रकार के भुगतान की जिम्मेदारी उसकी होगी और प्रथम पक्ष का इसमें कोई उत्तरदायित्व नहीं रहेगा।
- B. **विवाद या मतभेद :-** यदि कार्य को लेकर किसी भी प्रकार का विवाद या मतभेद एकरारनामा के तिरती भी स्तर पर होता है तो दोनों पक्ष विचार-विमर्श कर हल ढुढ़ने का प्रयास करेंगे फिर भी मतभेद नहीं सुलझने पर यह विवाद सुलह हेतु जिले के जिलाधिकारी के समक्ष रखा जायेगा। (विभिन्न कार्यक्रम के लिए इसमें फेर बढ़ल किया जा सकता है।)

4.1 निधि के दुरुपयोग करने पर प्रथम पक्ष को आवश्यक पूंजा एवं आन्देयण जो आवश्यक प्रतित हो, के उपरान्त प्रथम पक्ष को निर्माण समिति का खाता जप्त करने का अधिकार होगा।

5. **कार्य पूरा करने की अवधि :-**

इस एकशरनामा की तिथि से(महीना, सप्ताह/दिन) में कार्य पूरा कर लिया जायेगा विशेष परिस्थिति में दोनों पक्षों के लिखित सहमति से इस कडिका उल्लेखित समय अवधि में विस्तार किया जा सकता है।

6. **प्रथम पक्ष का कर्तव्य और उत्तरदायित्व :-**

6.1 प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष को प्रारूप के अनुसार कार्य कराने के लिए नियमित मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होगा। प्रारूप के अनुसार निर्माण और निर्माण से संबंधित सामानों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए प्रथम पक्ष के प्राधिकृत कमी निर्माण स्थल का नियमित भ्रमण करेंगे और लिखित मार्ग दर्शन भी देंगे।

6.2 प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष का प्रस्तावित कार्य के लिए नक्शों की तीन प्रतियाँ प्रारूप और मार्गदर्शन देगा।

6.3 जिला परियोजना अभियंता या परियोजना प्राधिकारी के अधिकृत ऐसे अन्य व्यक्ति प्रखण्ड स्तर पर संबंधित कनीय अभियंता एवं समिति के प्रतिनिधि के साथ सप्ताह में एक दिन (प्रत्येक परियोजना के लिए अवधि में सुधार किया जा सकता है।) बैठक करेंगे और निर्माण स्थल के प्रभारी कनीय अभियंता कार्य प्रगति का अद्यतन ब्यौरा और कार्य में होने वाली कठिनाईयों का उल्लेख करेंगे जो संबंधित समिति के सचिव द्वारा प्रति हस्तक्षरित होगा। निर्माण कार्य का लेखा-जोखा करने के लिए पूरी टीम संयुक्त रूप से किसी भी निर्माण स्थल का निरीक्षण कर सकती है।

6.4 एकशरनामा में उल्लेखित किये गये किसी भी शर्तों की अवहेलना करने पर या कार्य स्वरूप के अनुसार कार्य नहीं करने पर प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह निर्माण के दौरान किसी भी स्तर पर कार्य को रोक या स्थगित कर सकता है और भुगतान किये गये राशि को पुनः वापस करने की मांग कर सकता है।

7. **द्वितीय पक्ष के अधिकार और कर्तव्य :-**

7.1 **द्वितीय पक्ष :-**

(1) कडिका 5 में वर्णित समय अवधि के भीतर निर्माण कार्य पूरा करेगा।

(2) निर्माण कार्य के लिए आवश्यक सामानों को...

(3) विभिन्न कार्यों के लिए अधिसूचित दर...



सर्व शिक्षा अभियान, औरंगाबाद एकरारनामा प्रपत्र

1. यह एकरारनामा प्रपत्र, एकरारनामा के रूप में दिनांक को प्रखण्ड संसाधन केंद्र समन्वयक (जो इसके बाद प्रथम पक्ष के नाम से संबंधित होंगे) और विद्यालय शिक्षा समिति (जो इसके बाद द्वितीय पक्ष के नाम से संबोधित होंगे) के बीच निर्माण कार्य (कार्य के नाम का उल्लेख) करने के लिए निम्नलिखित शर्तों पर एकरारनामा बनाया जाता है।

2. ठेके की कीमत :- कार्य की कुल लागत (जो इसके बाद "कुल लागत" कहा जायेगा) (शब्दों में) है।

3. निधि आवंटन :-

3.1 द्वितीय पक्ष द्वारा समिति के नाम से जो खाता खोला गया है जिसका संचालन प्रधानाध्यापक तथा समिति के हस्ताक्षर हो रहा है, उसी खाते में इस कार्य की राशि जमा की जायेगी। राशि प्रखण्ड संसाधन केंद्र के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

3.2 प्रथम पक्ष द्वारा निर्माण कार्य के लिए भुगतान निम्नलिखित रूप में निर्गत किया जायेगा

| | अतिरिक्त कमरा एवं अन्य स्कीम (प्राक्कल्पित लागत का % के रूप में) | शैक्षणिक (प्राक्कल्पित लागत का % के रूप में) |
|------------------|---|---|
| 1. प्रथम किस्त | 50% | 75% |
| 2. द्वितीय किस्त | 35% | --- |
| 3. तृतीय किस्त | 15% | 25% |

3.3 प्रत्येक चरण का भुगतान निर्माण स्थल पर नियुक्त कनीय अभियन्ता और सहायक अभियन्ता द्वारा विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र दिये जाने पर तथा पिछड़ी निर्गत राशि कम से कम 50 प्रतिशत और इसके पूर्व में निर्गत राशि का 100 प्रतिशत खर्च कर दिया गया है, प्रथम पक्ष द्वारा अगले चरण की राशि निर्गत की जायेगी।

4. खाता का संचालन :- द्वितीय पक्ष द्वारा समय पर कार्य करने के लिए किये गये भुगतान के खर्च का अलग ब्यौरा रहेगा यह ब्यौरा प्रथम पक्ष के या अन्य दलों के भ्रमण के समय जो इस कार्य के निरीक्षण के लिए प्रतिनियुक्त होगी, निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करना होगा।

(5)

श्री

~~हरनाथ~~

आचार्य, विद्यालय शिक्षा समिति और प्रखण्ड सांसाधन केन्द्र समन्वयक द्वारा

~~प्रखण्ड सांसाधन~~ समिति के बीच ~~द्वारा~~

निर्माण हेतु एकरारनामा किया गया तथा निम्नलिखित को
अपरिशिष्टों में हस्ताक्षर किया गया और प्रस्तुत किया गया।

प्रथम पक्ष

द्वितीय पक्ष

1. प्रखण्ड सांसाधन केन्द्र समन्वयक
(पुरा नाम, हस्ताक्षर एवं मुहर)

~~राजेश्वर अनाक शर्मा~~

1. अध्यक्ष

(i) पुरा नाम - श्री सुब्रह्मण्यम्
(ii) हस्ताक्षर - श्री सुब्रह्मण्यम्

2. राक्षिष

(i) पुरा नाम - श्री/श्री
(ii) हस्ताक्षर - श्री/श्री

3. प्रधानशिक्षक

(i) पुरा नाम - श्री/श्री
(ii) हस्ताक्षर - श्री/श्री



खाता सं० - 608

बैंक का नाम - श्री आण्डेरीक बैंक, गुरुगुरु

समिति का मुहर ..

- (4) सुनिश्चित करेगा कि सामग्री की खरीदारी आवश्यकतानुसार एनेक्चर १ के अनुरूप हो (आई. एस. आई.) प्रमाणित सामग्री जहाँ तक सम्भव हो खरीदारी में प्राथमिकता दी जाय तथा वह राष्ट्रीय क्रय प्रक्रिया के तहत विभिन्न चरणों के लिए खरीदी जाय जैसा कि विश्व बैंक खरीदारी निर्देश में अंकित है।
- (5) नियमित रूप से कार्य की प्रगति का पर्यवेक्षण और अनुभवण करेगा तथा पर्यवेक्षक/अभियंता द्वारा दिये गये तकनीकी सलाह/निर्देश का पालन करेगा।
- (6) किसी भी प्रकार की अनियमितता को पहले पक्ष के प्रतिनिधि प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी/निरीक्षक/सहायक अभियंता को सूचित करेगा और आवश्यक स्पष्टीकरण मांगेगा।
- (7) यह सुनिश्चित करेगा कि कार्य नकशे और प्रारूप के अनुरूप कुल प्राक्कलित राशि के अन्दर सामग्री की कीमत घटने बढ़ने के बावजूद किया जा सकेगा।
- (8) प्रखण्ड सारगन्धन केन्द्र को कार्य की प्रगति से अवगत पंदा रहेगा।
- (9) निर्माण के दौरान पैसा/सामग्री के गलत उपयोग को रोकेंगा।
- (10) सभी प्रकार के ड्यूटी के तहत बहन करने का प्रावधान है। (प्रथम पक्ष नियम और कानून के तहत इस प्रकार के टैक्स की कटौति कर सकती है।)
- 7.2 विशेष परिस्थिति में दूसरा पक्ष पहले पक्ष के स्वीकृति से निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए पीस वर्क बेसिस (छोटे-छोटे स्तर) पर कार्य करा सकते हैं या किसी सुयोग्य गैर सरकारी सस्था या मान्य निर्माण सस्था जिसका पुराना रिकार्ड लोक भागीदारी में अक्का रहा है से कार्य करवा सकते हैं। इस परिस्थितियों में गैर सरकारी सस्था/निर्माण सस्था की जिम्मेदारी किसी भी प्रकार की सामग्री के खोने या चोरी होने की नपान या गजदुर क्षतिपूर्ति भुगतान तथा अन्य घटनाओं के लिए तथा अन्य इस प्रकार के भुगतान की जिम्मेदारी उरानी होगी और प्रथम पक्ष का इसमें कोई उत्तरदायित्व नहीं रहेगा।
8. **विवाद या मतभेद :** यदि कार्य को लेकर किसी भी प्रकार का विवाद या मतभेद एकसरनामा के किसी भी स्तर पर होता है तो दोनों पक्ष पिचार विमर्श कर मत दुद्धने का प्रयास करंगे फिर भी मतभेद नहीं सुलझने पर यह विवाद सुलह हेतु जिले के जिलाधिकारी के समक्ष रखा जायेगा। (विभिन्न कार्यक्रम के लिए इसमें फेर बदल किया जा सकता है।)

(7)

4.1 निधि के दुरुपयोग करने पर प्रथम पक्ष को आवश्यक पूछताछ एवं आन्वेषण जो आवश्यक प्रतीत हो, के उपरान्त प्रथम पक्ष को निर्माण समिति का खाता जप्त करने का अधिकार होगा।

5. कार्य पूरा करने की अवधि :-

इस एकरारनामा की तिथि से(महीना, सप्ताह/दिन) में कार्य पूरा कर लिया जायेगा विशेष परिस्थिति में दोनों पक्षों के लिखित सहमति से इस कंडिका उल्लेखित समय अवधि में विस्तार किया जा सकता है।

6. प्रथम पक्ष का कर्तव्य और उत्तरदायित्व :-

6.1 प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष को प्रारूप के अनुसार कार्य कराने के लिए नियमित मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होगा। प्रारूप के अनुसार निर्माण और निर्माण से संबंधित सामानों की गुणवत्ता की जाँच करने के लिए प्रथम पक्ष के प्राधिकृत कर्मी निर्माण स्थल का नियमित भ्रमण करेंगे और लिखित मार्ग दर्शन भी देंगे।

6.2 प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष का प्रस्तावित कार्य के लिए नक्शों की तीन प्रतियाँ प्रारूप और मार्गदर्शन देगा।

6.3 जिला परियोजना अभियंता या परियोजना प्राधिकारी के अधिकृत ऐसे अन्य व्यक्ति परब्रण्ड स्तर पर संबंधित कनीय अभियंता एवं समिति के प्रतिनिधि के साथ सप्ताह में एक दिन (प्रत्येक परियोजना के लिए अवधि में सुधार किया जा सकता है) बैठक करेंगे और निर्माण स्थल के प्रभारी कनीय अभियंता कार्य प्रगति का अद्यतन ब्यौरा और कार्य में होने वाली कठिनाईयों का उल्लेख करेंगे जो संबंधित समिति के सचिव द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होगा। निर्माण कार्य का लेखा-जोखा करने के लिए पूरी टीम सयुक्त रूप से किसी भी निर्माण स्थल का निरीक्षण कर सकती है।

6.4 एकरारनामा में उल्लेखित किये गये किसी भी शर्तों की अवहेलना करने पर या कार्य स्वरूप के अनुसार कार्य नहीं करने पर प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह निर्माण के दौरान किसी भी स्तर पर कार्य को रोक या स्थगित कर सकता है और भुगतान किये गये राशि को पुनः वापस करने की मांग कर सकता है।

7. द्वितीय पक्ष के अधिकार और कर्तव्य :-

7.1 द्वितीय पक्ष :-

- (1) कंडिका 5 में वर्णित समय अवधि के भीतर निर्माण कार्य पूरा करेगा।
- (2) निर्माण कार्य के लिए कुशल और योग्य व्यक्ति को कार्य में लगाएगा।
- (3) विभिन्न कार्यों के लिए अधिसूचित दर पर मजदूरी भुगतान करेगा।

8

सर्व शिक्षा अभियान, औरंगाबाद

एकरारनामा प्रपत्र

1. यह एकरारनामा प्रपत्र, एकरारनामा के रूप में दिनांक को प्रखण्ड संसाधन केन्द्र समन्वयक गवर्नर (जो इसके बाद प्रथम पक्ष के नाम से संबोधित होंगे) और विद्यालय शिक्षा समिति सायबुर्जा के वासापिंडा प्रखण्ड गवर्नर जिला औरंगाबाद (जो इसके बाद द्वितीय पक्ष के नाम के संबोधित होंगे) के बीच शुद्ध उमरा निर्माण कार्य (कार्य के नाम का उल्लेख) करने के लिए निम्नलिखित शर्तों पर एकरारनामा बनाया जाता है।

2. ठेके की कीमत :- कार्य की कुल लागत (जो इसके बाद 'कुल लागत' कहा जायेगा (शब्दों में) है।

3. निधि आवंटन :-

3.1 द्वितीय पक्ष द्वारा समिति के नाम से जो खाता खोला गया है जिसका संचालन प्रधानाध्यक्षक तथा सचिव के हस्ताक्षर हो रहा है, उरगी खाते में इस कार्य की राशि जमा की जायेगी। राशि प्रखण्ड संसाधन केन्द्र के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

3.2 प्रथम पक्ष द्वारा निर्माण कार्य के लिए भुगतान निम्नलिखित रूप में निर्गत किया जायेगा :-

| | अतिरिक्त कमरा एवं अन्य रकम (प्राक्कलित लागत का % के रूप में) | शौचालय (प्राक्कलित लागत का % के रूप में) |
|------------------|---|---|
| 1. प्रथम किस्त | 50% | 75% |
| 2. द्वितीय किस्त | 35% | — |
| 3. तृतीय किस्त | 15% | 25% |

3.3 प्रत्येक चरण का भुगतान निर्माण स्थल पर नियुक्त कर्मीय अभियन्ता और सहायक अभियन्ता द्वारा विहित प्रपत्र में उमयोगिता प्रमाण पत्र दिगे जाने पर तथा पिछली निर्गत राशि का कम से कम 50 प्रतिशत और इराके पूर्व में निर्गत राशि का 100 प्रतिशत खर्च कर दिया गया है, प्रथम पक्ष द्वारा अगले चरण की राशि निर्गत की जायेगी।

4. खाता का संचारण :- द्वितीय पक्ष द्वारा समय पर कार्य करने के लिए किये गये भुगतान के खर्च का अलग ब्यौरा रखेगा यह ब्यौरा प्रथम पक्ष के या अन्य दलों के भ्रमण के समय जो इस कार्य के निरीक्षण के लिए प्रतिनियुक्त होगी, निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करना होगा।

श्री कृष्णा सिंह

अध्यक्ष दिव्यालय शिक्षा समिति और प्रखण्ड ससाधान केन्द्र समन्वयक द्वारा

~~साथीके~~ वासुदेव समिति के बीच ~~रुद्र~~ उत्तर

निर्माण हेतु एकशरनामा किया गया तथा निम्नलिखित की
एवस्थिति ने हस्ताक्षर किया गया और प्रस्तुत किया गया।

प्रथम पक्ष

1. प्रखण्ड ससाधान केन्द्र समन्वयक
(पुरा नाम - हस्ताक्षर एवं मुहर)

राजिन्द्र प्रच साव

द्वितीय पक्ष

1. अध्यक्ष
(i) पुरा नाम - श्री कृष्णा सिंह
(ii) हस्ताक्षर - श्री कृष्णा सिंह
2. सचिव
(i) पुरा नाम - श्री ...
(ii) हस्ताक्षर - श्री ...
3. प्रधानशिक्षक
(i) पुरा नाम - श्री ...
(ii) हस्ताक्षर - श्री ...

खाता सं० - 608

बैंक का नाम - को आंग्लो हिंदी बैंक, 14-15

समिति का मुहर -



- (4) सुनिश्चित करेगा कि सामग्री की खरीदारी आवश्यकतानुसार एनेक्टर-1 के अनुरूप हो (आई. एस. आई.) प्रमाणित सामग्री जहाँ तक सम्भव हो खरीदारी में प्राथमिकता दी जाय तथा वह राष्ट्रीय क्रय प्रक्रिया के तहत विभिन्न चरणों के लिए खरीदी जाय जैसा कि विश्व बैंक खरीदारी निर्देश में अंकित है।
- (5) नियमित रूप से कार्य की प्रगति का पर्यवेक्षण और अनुश्रवण करेगा तथा पर्यवेक्षक/अनियता द्वारा दिये गये तकनीकी सलाह/निर्देश का पालन करेगा।
- (6) किसी भी प्रकार की अनियमितता को पहले पक्ष के प्रतिनिधि, प्रखण्ड शिक्षा प्रणाली पदाधिकारी/निरीक्षक/सहायक अभियंता को सूचित करेगा और आवश्यक स्पष्टीकरण मागगा।
- (7) यह सुनिश्चित करेगा कि कार्य नवरो और प्रारूप के अनुरूप, कुल प्राक्कलित राशि के अन्दर सामग्री की कीमत घटने बढ़ने के मावजूद किया जा सकेगा।
- (8) प्रखण्ड सहायक केन्द्र हो कार्य की प्रगति से अवगत कराता रहेगा।
- (9) निर्माण के दौरान पैसा/सामग्री के गलत उपयोग को रोकेंगा।
- (10) सभी प्रकार के ड्यूटी के तहत बहन करने का प्राक्धान है। (प्रथम पक्ष नियम और कानून के तहत इस प्रकार के टैक्स भी कटौति कर सकती है।)
- 7.2 विशेष परिस्थिति में दूसरा पक्ष पहले पक्ष के स्वीकृति से निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए पीस बक डेरिस (छोटे-छोटे स्तर) पर कार्य करा सकते हैं या किसी सुयोग्य गैर सरकारी संस्था या गान्ध निर्माण संस्था जिसका पुराना रिकार्ड लोक भागीदारी में अच्छा रहा है से कार्य करवा सकते हैं इस परिस्थितियों में गैर सरकारी संस्था/निर्माण संस्था की जिम्मेदारी किसी भी प्रकार की सामग्री के खोने या चोरी होने की, नुकसान या मजदुर क्षतिपूर्ति भुगतान तथा अन्य घटनाओं के लिए तथा अन्य इस प्रकार के भुगतान की जिम्मेदारी उसकी होगी और प्रथम पक्ष का इसमें कोई उत्तरदायित्व नहीं रहेगा।
8. **विवाद या मतभेद :** यदि कार्य को लेकर किसी भी प्रकार का विवाद या मतभेद एकतरफाया की किसी भी स्तर पर होता है तो दोनों पक्ष विचार-विमर्श कर हल ढुढ़ने का प्रयास करेंगे फिर भी मतभेद नहीं सुलझने पर यह विवाद सुल्ह हेतु जिले के जिलाधिकारी के सम्मुख रखा जायेगा। (विभिन्न कार्यक्रम के लिए इसमें फेर बदल किया जा सकता है।)

(11)

4.4 निधि के दुरुपयोग करने पर प्रथम पक्ष को आवश्यक पूछताछ एवं आन्वेषण जो आवश्यक प्रतीत हों, के उपरान्त प्रथम पक्ष को निर्माण समिति का खाता जप्त करने का अधिकार होगा।

5. कार्य पूरा करने की अवधि :-

इस एकरारनामा की तिथि से(महीना, सप्ताह/दिनों) में कार्य पूरा कर लिया जायेगा विशेष परिस्थिति में दोनों पक्षों के लिखित सहमति से इस कडिका उल्लेखित समय अवधि में विस्तार किया जा सकता है।

6. प्रथम पक्ष का कर्तव्य और उत्तरदायित्व :-

6.1 प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष को प्रारूप के अनुसार कार्य कराने के लिए नियमित मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होगा। प्रारूप के अनुसार निर्माण और निर्माण से संबंधित सामानों की गुणवत्ता की जाँच करने के लिए प्रथम पक्ष के प्राधिकृत कर्मी निर्माण स्थल का नियमित भ्रमण करेंगे और लिखित मार्ग दर्शन भी देंगे।

6.2 प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष का प्रस्तावित कार्य के लिए नक्शों की तीन प्रतियाँ प्रारूप और मार्गदर्शन देगा।

6.3 जिला परियोजना अभियंता या परियोजना प्राधिकारी के अधिकृत ऐसे अन्य व्यक्ति प्रखण्ड स्तर पर संबंधित कनीय अभियंता एवं समिति के प्रतिनिधि के साथ सप्ताह में एक दिन (प्रत्येक परियोजना के लिए अवधि में सुधार किया जा सकता है।) बैठक करेंगे और निर्माण स्थल के प्रभारी कनीय अभियंता कार्य प्रगति का आँकलन ब्याँरा और कार्य में होने वाली कठिनाईयों का उल्लेख करेंगे जो संबंधित समिति के सचिव द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होगा। निर्माण कार्य का लेखा-जोखा करने के लिए पूरी टीम संयुक्त रूप से किसी भी निर्माण स्थल का निरीक्षण कर सकती है।

6.4 एकरारनामा में उल्लेखित किये गये किसी भी शर्तों की अवहेलना करने पर या कार्य स्वरूप के अनुसार कार्य नहीं करने पर प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह निर्माण के दौरान किसी भी स्तर पर कार्य को रोक या स्थगित कर सकता है और भुगतान किये गये राशि को पुनः वापस करने की मांग कर सकता है।

7. द्वितीय पक्ष के अधिकार और कर्तव्य :-

7.1 द्वितीय पक्ष :-

- (1) कडिका 5 में वर्णित समय अवधि के भीतर निर्माण कार्य पूरा करेगा।
- (2) निर्माण कार्य के लिए कुशल और योग्य व्यक्ति को कार्य में लगाएगा।
- (3) विभिन्न कार्यों के लिए अधिसूचित दर पर मजदूरी भुगतान करेगा।

12

सर्व शिक्षा अभियान, औरंगाबाद

एकरारनामा प्रपत्र



1. यह एकरारनामा प्रपत्र, एकरारनामा के रूप में दिनांक को प्रखण्ड संसाधन केंद्र समन्वयक (जो इसके बाद प्रथम पक्ष के नाम से संबोधित होंगे) और विद्यालय शिक्षा समिति (जो इसके बाद द्वितीय पक्ष के नाम के संबोधित होंगे) के बीच जिला (जो इसके बाद तृतीय पक्ष के नाम के संबोधित होंगे) के बीच निर्माण कार्य (कार्य के नाम का उल्लेख) करने के लिए निम्नलिखित शर्तों पर एकरारनामा बनाया जाता है।

2. ठेके की कीमत :- कार्य की कुल लागत (जो इसके बाद कुल लागत कहा जायेगा) (शब्दों में) है।

3. निधि आवंटन :-

3.1 द्वितीय पक्ष द्वारा समिति के नाम से जो खाता खोला गया है जिसका संभालन प्रधानाध्यापक तथा सदस्य हस्ताक्षर हो रहा है, सभी खातों में इस कार्य की राशि जमा की जायेगी। राशि प्रखण्ड संसाधन केंद्र के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

3.2 प्रथम पक्ष द्वारा निर्माण कार्य के लिए भुगतान निम्नलिखित रूप में निर्गत किया जायेगा :

| | अतिरिक्त कमरा एवं अन्य स्कीम (प्राक्कलित लागत का % के रूप में) | शौचालय (प्राक्कलित लागत का % के रूप में) |
|------------------|---|---|
| 1. प्रथम किस्त | 50% | 75% |
| 2. द्वितीय किस्त | 35% | — |
| 3. तृतीय किस्त | 15% | 25% |

3.3 प्रत्येक चरण का भुगतान निर्माण स्थल पर नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ता और सहायक अभियन्ता द्वारा विहित प्रपत्र में उपयुक्त प्रमाण पत्र दिये जाने पर तथा पिछली निर्गत राशि का कम से कम 50 प्रतिशत और इसके पूर्व में निर्गत राशि का 100 प्रतिशत खर्च कर दिया गया है, प्रथम पक्ष द्वारा अगले चरण की राशि निर्गत की जायेगी।

4. खाता का संचारण :- द्वितीय पक्ष द्वारा समय पर कार्य करने के लिए किये गये भुगतान के स्वयं का अलग ब्यौरा रखेगा यह ब्यौरा प्रथम पक्ष के या अन्य दलों के भ्रमण के समय जो इस कार्य के निरीक्षण के लिए प्रतिनियुक्त होगी, निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करना होगा।

श्री ~~राजेश्वर प्रसाद शर्मा~~ ~~हरनाथ सिंह~~

अध्यक्ष, विद्यालय शिक्षण समिति और प्रखण्ड संसाधन कन्द्र समन्वयक द्वारा

~~प्राथमिक विद्यालय~~ समिति के बीच ~~एक ठगारा~~

विमोचन हेतु स्वीकार्यता किताब तथा विद्यालयिक की

उपस्थिति में हस्ताक्षर किया गया और प्रस्तुत किया गया।

प्रथम पक्ष

- 1. प्रखण्ड संसाधन कन्द्र समन्वयक
(पुरा नाम, हस्ताक्षर एवं मुहर)

~~राजेश्वर प्रसाद शर्मा~~

द्वितीय पक्ष

- 1. अध्यक्ष
 - (i) पुरा नाम - श्री ~~राजेश्वर प्रसाद शर्मा~~
 - (ii) हस्ताक्षर - श्री ~~राजेश्वर प्रसाद शर्मा~~
- 2. सचिव
 - (i) पुरा नाम - श्री ~~मोहन शर्मा~~
 - (ii) हस्ताक्षर - श्री ~~मोहन शर्मा~~
- 3. प्रधानशिक्षक
 - (i) पुरा नाम - श्री ~~मोहन शर्मा~~
 - (ii) हस्ताक्षर - श्री ~~मोहन शर्मा~~

खाता सं० - 608
 बैंक का नाम - ~~को इंग्लिश बैंक मदनपुर~~
 समिति का मुहर



- (4) सुनिश्चित करेगा कि सामग्री की खरीदारी आवश्यकतानुसार एनेक्चर-1 के अनुरूप हो (आई. एस. आई.) प्रमाणित सामग्री जहाँ तक सम्भव हो खरीदारी में प्राथमिकता दी जाय तथा वह राष्ट्रीय प्राय प्रक्रिया के तहत विभिन्न चरणों के लिए खरीदी जाय जैसा कि विश्व बैंक खरीदारी निर्देश में अंकित है।
- (5) नियमित रूप से कार्य की प्रगति का पर्यवेक्षण और अनुश्रवण करेगा तथा पर्यवेक्षक/अभियंता द्वारा दिये गये तकनीकी रासाह/निर्देश का पालन करेगा।
- (6) किसी भी प्रकार की अनियमितता को पहले पक्ष को प्रतिनिधि, प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी/निरीक्षक/सहायक अभियंता को सूचित करेगा और आवश्यक स्पष्टीकरण मागेगा।
- (7) यह सुनिश्चित करेगा कि कार्य नक्शे और प्रारूप के अनुरूप, कुल प्राकल्पित राशि के अन्दर सामग्री की कीमत घटने बढ़ने के बावजूद किया जा सकेगा।
- (8) प्रखण्ड संसाधन केन्द्र को कार्य की प्रगति से अवगत कराता रहेगा।
- (9) निर्माण के दौरान पैसा/सामग्री के गलत उपयोग को रोकेगा।
- (10) सभी प्रकार के ड्यूटी के तहत वहन करने का प्रावधान है। (प्रथम पक्ष नियम और कानून के तहत इस प्रकार के टैक्स को कटौती कर सकती है।)
- 7.2 विश्व परिस्थिति में दूसरा पक्ष पहले पक्ष के स्वीकृति से निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए बीस वर्ग बीसस (छोटे-छोटे स्तर) पर कार्य करा सकते हैं या किसी सुयोग्य गैर सरकारी संस्था या मान्य निर्माण संस्था जिसका पुराना रिकार्ड लोक भागीदारी में अच्छा रहा है से कार्य करवा सकते हैं। इस परिस्थितियों में गैर सरकारी संस्था/निर्माण संस्था की जिम्मेदारी किसी भी प्रकार की सामग्री के खोने या चोरी होने की, नुक़द या मजदुर क्षतिपूर्ति भुगतान तथा अन्य घटनाओं के लिए तथा अन्य इस प्रकार के भुगतान की जिम्मेदारी उसकी होगी और प्रथम पक्ष का इसमें कोई उत्तरदायित्व नहीं रहेगा।
8. **विवाद या मतभेद :** यदि कार्य को लेकर किसी भी प्रकार का विवाद या मतभेद एकसरनामा के किसी भी स्तर पर होता है तो दोनों पक्ष पिचार विमर्श कर हल ढुढ़ने का प्रयत्न करेंगे फिर भी मतभेद नहीं सुलझने पर यह विवाद सुलह हेतु जिले के जिलाधिकारी के समक्ष रखा जायेगा। (विभिन्न कार्यक्रम के लिए इसमें फेर बदल किया जा सकता है।)

- 4.1 निधि के दुरुपयोग करने पर प्रथम पक्ष को आवश्यक पूछताछ एवं आन्वेषण जो आवश्यक प्रतीत हो, के उपरान्त प्रथम पक्ष को निर्माण समिति का खाता जप्त करने का अधिकार होगा।
5. **कार्य पूरा करने की अवधि :-**
इस एकरारनामा की तिथि से (महीना, सप्ताह/दिन) में कार्य पूरा कर लिया जायेगा विशेष परिस्थिति में दोनों पक्षों के लिखित सहमति से इस कंडिका उल्लेखित समय अवधि में विस्तार किया जा सकता है।
6. **प्रथम पक्ष का कर्तव्य और उत्तरदायित्व :-**
- 6.1 प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष को प्रारूप के अनुसार कार्य कराने के लिए नियमित मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होगा। प्रारूप के अनुसार निर्माण और निर्माण से संबंधित सामानों की गुणवत्ता की जाँच करने के लिए प्रथम पक्ष के प्राधिकृत कर्मी निर्माण स्थल का नियमित भ्रमण करेंगे और लिखित मार्ग दर्शन भी देंगे।
- 6.2 प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष का प्रस्तावित कार्य के लिए नक्शों की तीन प्रतियाँ प्रारूप और मार्गदर्शन देगा।
- 6.3 जिला परियोजना अभियंता या परियोजना प्राधिकारी के अधिकृत ऐसे अन्य व्यक्ति प्रखण्ड स्तर पर संबंधित कनीय अभियंता एवं समिति के प्रतिनिधि के साथ सप्ताह में एक दिन (प्रत्येक परियोजना के लिए अवधि में सुधार किया जा सकता है।) बैठक करेंगे और निर्माण स्थल के प्रभारी कनीय अभियंता कार्य प्रगति का आ-पान ब्यौरा और कार्य में होने वाली कठिनाईयों का उल्लेख करेंगे जो संबंधित समिति के सचिव द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होगा। निर्माण कार्य का लेखा-जोखा करने के लिए पूरी टीम संयुक्त रूप से किसी भी निर्माण स्थल का निरीक्षण कर सकती है।
- 6.4 एकरारनामा में उल्लेखित किये गये किसी भी शर्तों की अवहेलना करने पर या कार्य स्वरूप के अनुसार कार्य नहीं करने पर प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह निर्माण के दौरान किसी भी स्तर पर कार्य को रोक या स्थगित कर सकता है और मुगतान किये गये राशि को पुनः वापस करने की मांग कर सकता है।
7. **द्वितीय पक्ष के अधिकार और कर्तव्य :-**
- 7.1 **द्वितीय पक्ष :-**
- (1) कंडिका 5 में वर्णित समय अवधि के भीतर निर्माण कार्य पूरा करेगा।
 - (2) निर्माण कार्य के लिए कुशल और योग्य व्यक्ति को कार्य में लगाएगा।
 - (3) विभिन्न कार्यों के लिए अधिसूचित दर पर मजदूरी भुगतान करेगा।

(16)

(5)

सर्व शिक्षा अभियान, औरंगाबाद एकरारनामा प्रपत्र



1. यह एकरारनामा प्रपत्र एकरारनामा के रूप में निर्गत की प्रथम पक्ष सरसाधान केंद्र
समन्वयक अमनपुर जो इसके बाद प्रथम पक्ष के नाम से संबोधित
होगे) और विद्यालय शिक्षा समिति प्रखण्ड सरसाधान
प्रखण्ड अमनपुर जिला औरंगाबाद (जो इसके बाद द्वितीय पक्ष के नाम
के संबोधित होंगे) के बीचे रुग् इगरी निर्माण कार्य (कार्य के नाम का
उल्लेख) करने के लिए निम्नलिखित शर्तों पर एकरारनामा बनाया जाता है।

2. ठेके की कीमत :- कार्य की कुल लागत (जो इसके बाद "कुल लागत" कहा जायेगा)
(शब्दों में) है।

3. निधि आवंटन :-

3.1 द्वितीय पक्ष द्वारा समिति के नाम से जो खाता खोला गया है जिसका संभालन प्रधानाध्यापक तथा सचिव के
हस्ताक्षर हो रहा है, उचित खाते में इस कार्य की राशि जमा की जायेगी। राशि प्रखण्ड सरसाधान केंद्र की
माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

3.2 प्रथम पक्ष द्वारा निर्माण कार्य के लिए भुगतान निम्नलिखित रूप में निर्गत किया जायेगा :-

| | अतिरिक्त नमरा एवं अन्य रकम (प्राक्कलित लागत का % के रूप में) | शौचालय (प्राक्कलित लागत का % के रूप में) |
|------------------|---|---|
| 1. प्रथम किस्त | 50% | 75% |
| 2. द्वितीय किस्त | 35% | --- |
| 3. तृतीय किस्त | 15% | 25% |

3.3 प्रत्येक चरण का भुगतान निर्माण स्थल पर नियुक्त कमीय अभियन्ता और सहायक अभियन्ता द्वारा विहित
प्रपत्र में उद्योगिता प्रमाण पत्र दिने जाने पर तथा पिछली निर्गत राशि का कम से कम 50 प्रतिशत और इसके
पूर्व में निर्गत राशि का 100 प्रतिशत खर्च कर दिया गया है, प्रथम पक्ष द्वारा अगले चरण की राशि निर्गत की
जायेगी।

4. खाता का संचारण :- द्वितीय पक्ष द्वारा रागण पर कार्य करने के लिए किये गये भुगतान के खर्च का अंतर
ब्यौरा रखेगा यह ब्यौरा प्रथम पक्ष के या अन्य दलों के भ्रमण के समय जो इस कार्य के निरीक्षण के लिए
प्रतिनियुक्त होगी, निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करना होगा।

17

श्री श्री ११११११ अध्यक्ष, विद्यालय शिक्षा समिति,

श्री श्री ११११११ सचिव, विद्यालय शिक्षा समिति,

श्री संजय कुमार प्रखण्ड संसाधन केन्द्र समन्वयक के बीच श्री ११११११ (१)

प्रतिनिधि समझे जायें और प्रखण्ड संसाधन केन्द्र समन्वयक के बीच श्री ११११११ (२)

निर्माण हेतु एकतरनामा किया गया। श्री ११११११

श्री ११११११

श्री ११११११

श्री ११११११

श्री ११११११

श्री ११११११

श्री ११११११

श्री ११११११

श्री ११११११

श्री ११११११

श्री ११११११

श्री ११११११

श्री ११११११

1. प्रखण्ड संसाधन केन्द्र समन्वयक
(पुरा नाम, हस्ताक्षर एवं मुहर)

श्री ११११११

अध्यक्ष शिक्षा प्रखण्ड संसाधन केन्द्र
महमपुर, सीकर जिल्ला

1. अध्यक्ष श्री ११११११
पुरा नाम :-

हस्ताक्षर :- श्री ११११११

2. सचिव,
पुरा नाम :- श्री ११११११

हस्ताक्षर :- श्री ११११११

3. प्रधान शिक्षक,
पुरा नाम :- संजय कुमार

हस्ताक्षर :- संजय कुमार

एकतरनामा निम्नलिखित की उपस्थिति में हस्ताक्षर एवं प्रस्तुत किया गया।

(1) श्री ११११११ सदस्य (विद्यालय शिक्षा समिति)

(2) श्री ११११११ सदस्य (विद्यालय शिक्षा समिति)

खाता नं. :- 608

बैंक का नाम :- श्री ११११११ बैंक महमपुर

समिति का मुहर :-

7.1 द्वितीय पक्ष :-

- (1) कठिना 5 में वर्णित सम्य अवधि के भीतर निर्माण कार्य पूरा करेगा।
- (2) निर्माण कार्य के लिए कुशल और योग्य व्यक्ति को कार्य में लगाएगा।
- (3) विभिन्न कार्यों के लिए अधिसूचित दर पर मजदूरी भुगतान करेगा।
- (4) सुनिश्चित करेगा कि सामग्री की खरीदारी आवश्यकतानुसार एनेक्चर-1 के अनुरूप हो (आइ.एल.आई.) प्रमाणित सामग्री जहाँ तक सम्भव हो खरीदारी में प्राथमिकता दी जाय तथा वह राष्ट्रीय क्रय प्रक्रिया के तहत विभिन्न चरणों के लिए खरीदी जाय, जैसा कि विश्व बैंक खरीदारी निर्देश में अंकित है।
- (5) नियमित रूप से कार्य की प्रगति का पर्यवेक्षण और अनुश्रवण करेगा तथा पर्यवेक्षक/अभियंता द्वारा दिये गये तकनीकी सलाह/निर्देश का पालन करेगा।
- (6) किसी भी प्रकार की अनियमितता को पहले पक्ष के प्रतिनिधि, प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी/निरीक्षक/सहायक अभियंता को सूचित करेगा और आवश्यक स्पष्टीकरण मांगेगा।
- (7) यह सुनिश्चित करेगा कि कार्य नरने और प्रारूप के अनुरूप कुल प्राकल्पित राशि के अन्दर सामग्री की कीमत घटने बढ़ने के बावजूद किया जा सकेगा।
- (8) प्रखण्ड संसाधन केंद्र को कार्य की प्रगति से अवगत करेता रहेगा।
- (9) निर्माण के दौरान पैसा/सामग्री के गलत उपयोग को रोकेगा।
- (10) सभी प्रकार के उद्युटी के तहत बहन करने का पक्क्यान है। (प्रथम पक्ष नियम और कानून के तहत इस प्रकार के टैक्स की कटौति कर सकती है।)

7.2

विशेष परिस्थिति में दूसरा पक्ष पहले पक्ष के स्वीकृति से निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए पीस वर्क बेसिस (छोटे-छोटे स्तर) पर कार्य कता सकते हैं या किसी सुयोग्य गैर सरकारी संस्था या मान्य निर्माण संस्था जिसका पुराना रिकार्ड लोक खरीदारी में अच्छा रहा है से कार्य करवा सकते हैं। इस परिस्थिति में गैर सरकारी संस्था/निर्माण संस्था की जिम्मेदारी किसी भी प्रकार की सामग्री के खोने या चोरी होने की, नकद या मजदूर क्षतिपूर्ति भुगतान तथा अन्य घटनाओं के लिए तथा अन्य इस प्रकार के भुगतान की जिम्मेदारी उसकी होगी और प्रथम पक्ष का इसमें कोई उत्तरदायित्व नहीं रहेगा।

6

विवाद या मतभेद :- यदि कार्य को लेकर किसी भी प्रकार का विवाद या मतभेद एकसरनाम्य के किसी भी स्तर पर होता है तो दोनों पक्ष विचार-विमर्श का हल ढुढ़ने का प्रयास करेंगे फिर भी मतभेद नहीं सुलझने पर यह विवाद सुलह हेतु जिले के पदाधिकारी के सम्म खरा जायेगा। (विभिन्न कार्यक्रम के लिए इसमें फेर बदल किया जा सकता है।)

श्री. श्री. सु. प्र. श्री. श्री. श्री. अध्यक्ष, विद्यालय शिक्षा समिति,
 श्री. श्री. सु. प्र. श्री. श्री. श्री. सचिव, विद्यालय शिक्षा समिति,
 श्री. श्री. सु. प्र. श्री. श्री. श्री. विद्यालय के प्रमुख/प्रधान जो द्वितीय फंड के
 प्रतिनिधि समझे जावेंगे और प्रखण्ड संसाधन केन्द्र समन्वयक के बीच ए. डी. श्री.
 निर्माण हेतु एकरारनामा किया गया।

| प्रथम फंड | द्वितीय फंड |
|--|--|
| 1. प्रखण्ड संसाधन केन्द्र समन्वयक (पुरा नाम, हस्ताक्षर एवं मुहर) <u>श्री. सु. प्र. श्री. श्री. श्री.</u> प्रखण्ड शिक्षा प्रसा? पदाधिकार मदनपुर की संसाधन | 1. अध्यक्ष <u>श्री. सु. प्र. श्री. श्री. श्री.</u> पुरा नाम :- हस्ताक्षर :- <u>श्री. सु. प्र. श्री. श्री. श्री.</u> 2. सचिव, पुरा नाम :- <u>श्री. सु. प्र. श्री. श्री. श्री.</u> <u>श्री.</u> हस्ताक्षर :- <u>श्री. सु. प्र. श्री. श्री. श्री.</u> <u>श्री.</u> 3. प्रधान शिक्षक, पुरा नाम :- <u>श्री. सु. प्र. श्री. श्री. श्री.</u> <u>श्री.</u> हस्ताक्षर :- <u>श्री. सु. प्र. श्री. श्री. श्री.</u> <u>श्री.</u> |

एकरारनामा निम्नलिखित की उपस्थिति में हस्ताक्षर एवं प्रस्तुत किया गया।

- (1) श्री. सु. प्र. श्री. श्री. श्री. सदस्य, (विद्यालय शिक्षा समिति)
- (2) श्री. सु. प्र. श्री. श्री. श्री. सदस्य, (विद्यालय शिक्षा समिति)

खाता नं. :- 608
 बैंक का नाम :- श्री. सु. प्र. श्री. श्री. श्री. बैंक मदनपुर
 समिति का मुहर :-

7.1 द्वितीय पक्ष :-

- (1) कंत्रिका 5 में वर्णित समय अथवा के भीतर निर्माण कार्य पूरा करेगा।
- (2) निर्माण कार्य के लिए कुशल और योग्य व्यक्ति को कार्य में लगाएगा।
- (3) विभिन्न कार्यों के लिए अधिसूचित दर पर मजदूरी भुगतान करेगा।
- (4) सुनिश्चित करेगा कि सामग्री की खरीदारी आवश्यकतानुसार एनेक्चर-1 के अनुरूप हो (आइ.एस.आई.) प्रमाणित सामग्री जहाँ तक सम्भव हो खरीदारी में प्राथमिकता दी जाय तथा वह राष्ट्रीय कृष्य प्रक्रिया के तहत विभिन्न चरणों के लिए खरीदी जाय, जैसा कि विश्व बैंक खरीदारी निर्देश में अंकित है।
- (5) नियमित रूप से कार्य की प्रगति का पर्यवेक्षण और अनुक्रमण करेगा तथा पर्यवेक्षक/अभियंता द्वारा दिये गये तकनीकी सलाह/निर्देश का पालन करेगा।
- (6) किसी भी प्रकार की अनियमितता को पहले पक्ष के प्रतिनिधि, प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी/निरीक्षक/सहायक अभियंता को सूचित करेगा और आवश्यक स्पष्टीकरण मांगेगा।
- (7) यह सुनिश्चित करेगा कि कार्य सबसे और प्रारूप के अनुरूप, कुल प्रावकलित राशि के अन्दर सामग्री की कीमत घटने बढ़ने के बावजूद किया जा सकेगा।
- (8) प्रखण्ड संसाधन केन्द्र को कार्य की प्रगति से अवगत करता रहेगा।
- (9) निर्माण के दौरान पैसा/सामग्री के गलत उपयोग को रोकेंगा।
- (10) सभी प्रकार के ड्यूटी के तहत वहन करने का प्रावधान है। (प्रथम पक्ष नियम और कानून के तहत इस प्रकार के टैक्स की कटौति कर सकती है।)

7.2 विशेष परिस्थिति में दूसरा पक्ष पहले पक्ष के स्वीकृति से निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए पीस वर्क बेसिस (छोटे-छोटे स्तर) पर कार्य करा सकते हैं या किसी सुयोग्य गैर सरकारी संस्था या मान्य निर्माण संस्था जिसका पुराना रिकार्ड लोक खरीदारी में अद्यतन रहा है से कार्य करवा सकते हैं। इस परिस्थिति में गैर सरकारी संस्था/निर्माण संस्था की जिम्मेवारी किसी भी प्रकार की सामग्री के खाने या चोरी होने की, मकद या मजदूर क्षतिपूर्ति भुगतान तथा अन्य घटनाओं के लिए तथा अन्य इस प्रकार के भुगतान की जिम्मेवारी उत्तकी होगी और प्रथम पक्ष का इसमें कोई उत्तरदायित्व नहीं रहेगा।

8. विवाद या मतभेद :- यदि कार्य को लेकर किसी भी प्रकार का विवाद या मतभेद एकरारनामा के किसी भी स्तर पर होता है तो दोनों पक्ष विचार-विमर्श कर हल ढुङ्गने का प्रयास करेंगे फिर भी मतभेद नहीं सुलझने पर यह विवाद सुलझ हेतु जिले के पदाधिकारी के सम्मन रखा जायेगा। (विभिन्न कार्यक्रम के लिए इसमें केर बदल किया जा सकता है।)

श्री. श्री. सुधीर / 12 अध्यक्ष, विद्यालय शिक्षा समिति

श्री. सुधीर / 12 सचिव, विद्यालय शिक्षा समिति

श्री. राजेश कुमार प्रधान शिक्षक

प्रतिनिधि समझे जायें और प्रत्येक संस्था के प्रतिनिधि के बीच एक एक

निर्माण हेतु एकरास्ता का किया गया है

प्रथम पत्र

द्वितीय पत्र

1. प्रत्येक संस्था के प्रतिनिधि समन्वयक (पूरा नाम, हस्ताक्षर एवं मुहर)

राजेश कुमार

मुख्य शिक्षा प्रशासक वृद्धाश्रम मदनपुर, मीरजापुर

1. अध्यक्ष, श्री सुधीर / 12 पूरा नाम :-

हस्ताक्षर :- श्री सुधीर / 12

2. सचिव, पूरा नाम :- सुधीर / 12

हस्ताक्षर :- सुधीर / 12

3. प्रधान शिक्षक, पूरा नाम :- राजेश कुमार

हस्ताक्षर :- राजेश कुमार

एकरास्ता नाम निम्नलिखित की उपस्थिति में हस्ताक्षर एवं प्रस्तुत किया गया।

(1) राजेश कुमार अध्यक्ष, (विद्यालय शिक्षा समिति)

(2) सुधीर / 12 सचिव, (विद्यालय शिक्षा समिति)

खाला सं. :- 608

बैंक का नाम :- को-ऑपरेटिव बैंक मदनपुर

समिति का मुहर :-

7.1 **द्वितीय पक्ष :-**

- (1) कंत्रिका 5 में वर्णित समय अवधि के भीतर निर्माण कार्य पूरा करेगा।
 - (2) निर्माण कार्य के लिए कुशल और योग्य व्यक्ति को कार्य में लगाएगा।
 - (3) विभिन्न कार्यों के लिए अधिसूचित दर पर मजदूरी भुगतान करेगा।
 - (4) सुनिश्चित करेगा कि सामग्री की खरीदारी आवश्यकतानुसार एनेक्चर-1 के अनुकूल हो (आई.एस.आई.) प्रमाणित सामग्री जहाँ तक सम्भव हो खरीदार ने प्राथमिकता दी जाय तथा यह राष्ट्रीय कय प्रक्रिया के तहत विभिन्न चरणों के लिए खरीदी जाय, जैसा कि विश्व बैंक खरीदारी निर्देश में अंकित है।
 - (5) नियमित रूप से कार्य की प्रगति का पर्यवेक्षण और अनुश्रवण करेगा तथा पर्यवेक्षक/अभियंता द्वारा दिये गये तकनीकी सलाह/निर्देश का पालन करेगा।
 - (6) किसी भी प्रकार की अनियमितता को परतले पर के प्रतिनिधि, प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी/निरीक्षक/सहायक अभियंता का मुद्रित करेगा और आवश्यक स्टार्ट करण भागेगा।
 - (7) यह सुनिश्चित करेगा कि कार्य नवरो और प्रगति के अनुकूल कुल प्राक्कलिता लक्ष्य के अन्दर सामग्री की कीमत घटने बढ़ने के बावजूद किया जा सकेगा।
 - (8) प्रखण्ड सहायक केन्द्र को कार्य की प्रगति के अद्यतन अवगत रहेगा।
 - (9) निर्माण के दौरान पक्का/सामग्री के गलत उपयोग का रोक्केगा।
 - (10) सभी प्रकार के ड्यूटी के तहत बहन करण / प्रवर्धन है। प्रथम पक्ष नियम और कानून के तहत इस प्रकार के दंड की कटौति कर सकता है।
- विशेष परिस्थिति में दूसरा पक्ष पहले पर के स्वीकृति से निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए पीस परक डेजिन (छोटे-छोटे स्तर) पर कार्य करा सकते हैं या किसी सुयोग्य गैर सरकारी सस्था या पान्य निर्माण सस्था जिसका पुराना रिकार्ड लयक परीक्षण में अग्र्य रहा है से कार्य करवा सकते हैं। इस परिस्थिति में गैर सरकारी सस्था/निर्माण सस्था के जिम्मेदारी किसी भी प्रकार की सामग्री के खोने या चोरी होने का नकद या मजदुर क्षतिपूर्ति भुगतान तथा अन्य घटनाओं के लिए तथा अन्य इस प्रकार के भुगतान के जिम्मेवारी उसकी हार्म और प्रथम पक्ष का इसमें कोई उत्तरदायित्व नहीं रहेगा।

विवाद या मतभेद :- यदि कार्य को लेकर किसी भी प्रकार का विवाद या मतभेद एकरारनामा के किसी भी स्तर पर होता है तो दोनों पक्ष विचार-विमर्श कर हल बुझने का प्रयास करेंगे फिर भी मतभेद नहीं सुलझने पर यह विवाद मुम्बई हेतु जिले के पदाधिकारी के सम्मुख रखा जायेगा। (विभिन्न कार्यक्रम के लिए इसमें फेर बदल किया जा सकता है।)

23

श्री. श्री. ए. सी. शर्मा अध्यक्ष, विद्यालय शिक्षा समिति,
 श्री. अनिल कुमार शर्मा सचिव, विद्यालय शिक्षा समिति,
 श्री. संजय कुमार विद्यालय के प्रधानाध्यापक जो द्वितीय पत्र के
 प्रतिनिधि समझे जायेंगे और प्रखण्ड संसाधन केन्द्र समन्वयक के बीच श्री. संजय कुमार
 निर्माण हेतु एकरास्नामा किया गया।

प्रथम पत्र

द्वितीय पत्र

1. प्रखण्ड संसाधन केन्द्र समन्वयक
 (पुत्र नाम, हस्ताक्षर एवं मुहर)

श्री. संजय कुमार शर्मा

प्रखण्ड शिक्षा सहायक, प्रशासनिक
 मदनपुर, को. सा. सा. 608

1. अध्यक्ष, श्री. ए. सी. शर्मा
 पुत्र नाम :-
 हस्ताक्षर :- श्री. ए. सी. शर्मा

2. सचिव,
 पुत्र नाम :- अनिल कुमार शर्मा
 हस्ताक्षर :- अनिल कुमार शर्मा

3. प्रधान शिक्षक,
 पुत्र नाम :- संजय कुमार
 हस्ताक्षर :- संजय कुमार

एकरास्नामा निम्नलिखित की उपस्थिति में हस्ताक्षर एवं प्रस्तुत किया गया।

- (1) श्री. संजय कुमार अध्यक्ष, (विद्यालय शिक्षा समिति)
- (2) श्री. संजय कुमार शर्मा सचिव, (विद्यालय शिक्षा समिति)

खाता नं. :- 608
 बैंक का नाम :- को. ऑपरेटिव बैंक मदनपुर
 समिति का मुहर :-

7.1 द्वितीय पक्ष :-

- (1) कंडिका 5 में वर्णित समय अवधि के भीतर निर्माण कार्य पूरा करेगा।
- (2) निर्माण कार्य के लिए कुशल और योग्य व्यक्ति को कार्य में लगाएगा।
- (3) विभिन्न कार्यों के लिए अक्सिडित दर पर मजदूरी भुगतान करेगा।
- (4) सुनिश्चित करेगा कि सामग्री की खरीदारी आवश्यकतानुसार एनेक्चर-1 के अनुरूप हो (आई.एस.आई.) प्रमाणित सामग्री जहाँ तक सम्भव हो खरीदारी में प्राथमिकता दी जाय तथा यह राष्ट्रीय क्रय प्रक्रिया के तहत विभिन्न चरणों के लिए खरीदी जाय, जैसा कि दिश्य बैंक खरीदारी निर्देश में अंकित है।
- (5) नियमित रूप से कार्य की प्रगति का पर्यवेक्षण और अनुभवण करेगा तथा पर्यवेक्षक/अभियंता द्वारा दिये गये तकनीकी सलाह/निर्देश का पालन करेगा।
- (6) किसी भी प्रकार की अनियमितता को पहले पक्ष के प्रतिनिधि, प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी/निरीक्षक/सहायक अभियंता को सूचित करेगा और आवश्यक स्पष्टीकरण मांगेगा।
- (7) यह सुनिश्चित करेगा कि कार्य नकद और प्रारूप के अनुरूप, कुल प्राक्कलित राशि के अन्दर सामग्री की कीमत घटने बढ़ने के बावजूद किया जा सकेगा।
- (8) प्रखण्ड संसाधन केंद्र को कार्य की प्रगति से अवगत करता रहेगा।
- (9) निर्माण के दौरान पैसा/सामग्री के गलत उपयोग को रोकेगा।
- (10) सभी प्रकार के ह्यूटी के तहत बहन करने का प्रारूपण है। (प्रथम पक्ष नियम और कानून के तहत इस प्रकार के टैक्स की कटौति कर सकती है।)

7.2

विशेष परिस्थिति में दूसरा पक्ष पहले पक्ष के स्वीकृति से निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए वीस वर्क बेसिस (छोटे-छोटे स्तर) पर कार्य कर सकते हैं या किसी सुयोग्य गैर सरकारी संस्था या मान्य निर्माण संस्था जिसका पुराना रिकार्ड लोक भगीदारी में अच्छा रहा है से कार्य करवा सकते हैं। इस परिस्थिति में गैर सरकारी संस्था/निर्माण संस्था की जिम्मेवारी किसी भी प्रकार की सामग्री के खोने या चोरी होने की, नकद या मजदूर क्षतिपूर्ति भुगतान तथा अन्य घटनाओं के लिए तथा अन्य इस प्रकार के भुगतान की जिम्मेवारी उसकी होनी और प्रथम पक्ष का इसमें कोई उत्तरदायित्व नहीं रहेगा।

8.

विवाद या मतभेद :- यदि कार्य को लेकर किसी भी प्रकार का विवाद या मतभेद एकरारनामा के किसी भी स्तर पर होता है तो दोनों पक्ष विचार-विमर्श कर हल बुझने का प्रयास करेंगे फिर भी मतभेद नहीं सुलझने पर वह विवाद गुलब हेतु जिले के पदाधिकारी के सम्मक्ष रखा जायेगा। (विभिन्न कार्यक्रम के लिए इसमें फेर बदल किया जा सकता है।)

25

4. खाता का संभारण:- द्वितीय पक्ष द्वारा समय पर कार्य करने के लिए किये गये मुगताम के खर्च का अलग खाता खोलना यह खाता प्रथम पक्ष के या अन्य दलों के प्रथम के समय जो इस कार्य के निरीक्षण के लिए प्रतिनियुक्त होगी, निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करना होगा।

4.1 निधि के दुरुपयोग करने पर प्रथम पक्ष को आवश्यक पूछताछ एवं अन्वेषण जो आवश्यक प्रतीत हो, के उपरान्त प्रथम पक्ष को निर्माण समिति का खाता जप्त करने का अधिकार होगा।

5. कार्य पूरा करने की अवधि:-

इस एकरारनामा की तिथि से.....(गठिना, सप्ताह/दिन) में कार्य पूरा कर लिया जायेगा विशेष परिस्थिति में दोनों पक्षों के लिखित सहमति से इस कठिका उल्लेखित समय अवधि में विस्तार किया जा सकता है।

6. प्रथम पक्ष का कर्तव्य और उत्तरदायित्व :-

6.1 प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष को प्रारूप के अनुसार कार्य कराने के लिए नियमित मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होगा। प्रारूप के अनुसार निर्माण और निर्माण से संबंधित सामानों की गुणवत्ता की जाँच करने के लिए प्रथम पक्ष के प्राधिकृत कर्मी निर्माण स्थल पर नियमित भ्रमण करेंगे और लिखित मार्गदर्शन भी देंगे।

6.2 प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष का प्रस्तावित कार्य के लिए नक़्शों की एक प्रतियाँ प्राप्त और मार्गदर्शन देगा।

6.3 जिला परियोजना अभियंता या परियोजना प्राधिकारी के अधिकृत ऐसे अन्य व्यक्ति प्रखण्ड स्तर पर संबंधित कर्मीय अभियंता एवं समिति के प्रतिनिधि के साथ सप्ताह में एक दिन (प्रत्येक परियोजना के लिए अवधि में सुधार किया जा सकता है।) बैठक करेंगे और निर्माण स्थल के प्रभारी कर्मीय अभियंता कार्य प्रगति का अद्यतन और कार्य में होने वाली कठिनाईयों का उल्लेख करेंगे जो संबंधित समिति के सचिव द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होगा। निर्माण कार्य का लेखा-जोखा करने के लिए पूरी टीम संयुक्त रूप से किसी भी निर्माण स्थल का निरीक्षण कर सकती है।

6.4 एकरारनामा में उल्लेखित किये गये किसी भी शर्तों की अवहेलना करने पर या कार्य स्वरूप के अनुसार कार्य नहीं करने पर प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह निर्माण के दौरान किसी भी स्तर पर कार्य को रोक या स्थगित कर सकता है और मुगताम किये गये पक्ष को पुनः वापस करने की मांग कर सकता है।

7. द्वितीय पक्ष के अधिकार और कर्तव्य :-



सर्व शिक्षा अभियान, औरंगाबाद एकरारनामा प्रपत्र

1. यह एकरारनामा प्रपत्र एकरारनामा के रूप में दिनांक के प्रथम संसाधन केन्द्र समन्वयक (जो इसके बाद प्रथम पक्ष के नाम से संबोधित होंगे) और विद्यालय शिक्षा समिति (जो इसके बाद द्वितीय पक्ष के नाम से संबोधित होंगे) के बीच निर्माण कार्य (कार्य के नाम का उल्लेख) करने के लिए निम्नलिखित शर्तों पर एकरारनामा बनाया जाता है।

2. ठेके की कीमत :- कार्य की कुल लागत (जो इसके बाद " कुल लागत " कहा जायेगा (शब्दों में) है।

3. निधि आवंटन :-

3.1 द्वितीय पक्ष द्वारा समिति के नाम से जो खाता खोला गया है जिसका संचालन प्रधानाध्यापक तथा सचिव की हस्ताक्षर से हो रहा है, उसी खाते में इस कार्य की राशि जमा की जायेगी। सति प्रथम संसाधन केन्द्र के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

3.2 प्रथम पक्ष द्वारा निर्माण कार्य के लिए मुगताम निम्नलिखित रूप में निर्गत किया जावेगा :-

| | अतिरिक्त कमरा एवं अन्य स्वयंम (प्रापकलित लागत का % के रूप में) | सीकलय (प्रापकलित लागत का % के रूप में) |
|---------------|---|---|
| 1. प्रथम किरत | 75% | 75% |
| 2. अंतिम किरत | 25% | 25% |

3.3 प्रत्येक चरण का मुगताम विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा दिये गये खर्च का मीट (S.O.E.) और मापे प्रोविडन्स (M.B.) में जो कम होना उसे माफ़े हुए पिछली निर्गत राशि का कम से कम 75 प्रतिशत और इसके पूर्व में निर्गत राशि का 100 प्रतिशत खर्च कर दिया गया है. प्रथम पक्ष द्वारा अगले चरण की सति निर्गत की जायेगी।

4. खाता का संभारण:- द्वितीय पक्ष द्वारा समय पर कार्य करने के लिए किये गये मुगलान के खर्च का अलग ब्यौटा रखेगा यह ब्यौटा प्रथम पक्ष के वा अन्य दलों के प्रत्येक के समय जो इस कार्य के निरीक्षण के लिए प्रतिनियुक्त होगी, निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करना होगा।

4.1 निधि के दुुरुपयोग करने पर प्रथम पक्ष को आवश्यक पूछताछ एवं अन्वेषण जो आवश्यक प्रतीत हो, के उपरान्त प्रथम पक्ष को निर्माण समिति का खाता जप्त करने का अधिकार होगा।

5 कार्य पूरा करने की अवधि:-

इस एकरासनामा की तिथि से..... (माहिना, सप्ताह/दिन) में कार्य पूरा कर लिया जायेगा विशेष परिस्थिति में दोनों पक्षों के लिखित सहमति से इस कड़िका उल्लेखित समय अवधि में विस्तार किया जा सकता है।

6 प्रथम पक्ष को कर्तव्य और उत्तरदायित्व :-

6.1 प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष को प्रारूप के अनुसार कार्य कराने के लिए नियमित मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होगा। प्रारूप के अनुसार निर्माण और निर्माण से सम्बन्धित सामानों की मुहबता का जांच करने के लिए प्रथम पक्ष के प्राधिकृत कर्मी निर्माण स्थल का नियमित प्रम करेगे और लिखित मार्गदर्शन भी दंगे।

6.2 प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष को प्रस्तावित कार्य के लिए नक्शों की एक प्रतियाँ प्रारूप और मार्गदर्शन दगा।

6.3 जिला परियोजना अभियंता या परियोजना प्राधिकारों के अधिकृत ऐसे अन्य व्यक्ति प्रत्येक स्तर पर संबंधित कर्मीय अभियंता एवं समिति के प्रतिनिधि के साथ सप्ताह में एक दिन (प्रत्येक परियोजना के लिए अवधि में चुधार किया जा सकता है।) बैठक करेगे और निर्माण स्थल के प्रभारी कर्मीय अभियंता कार्य प्रगति का अद्यतन ब्यौटा और कार्य में होने वाली कठिनाईयों का उल्लेख करेगे जो संबंधित समिति के सदस्य द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होगा। निर्माण कार्य का लेखा-जोखा करने के लिए पूरी टीम संयुक्त रूप से किसी भी निर्माण स्थल का निरीक्षण कर सकती है।


6.4 एकरासनामा में उल्लेखित किये गये किसी भी शर्तों की अवहेलना करने पर या कार्य स्वल्प के अनुसार कार्य नहीं करने पर प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह निर्माण के दौरान किसी भी स्तर पर कार्य को रोक या स्थगित कर सकता है और मुहबतान किये गये पत्रि को पुनः वापस करने की मांग कर सकता है।

7. द्वितीय पक्ष के अधिकार और कर्तव्य :-

(28)

सर्व शिक्षा अभियान, औरंगाबा

एकराजनामा प्रपत्र



1. यह एकराजनामा प्रपत्र, एकराजनामा के रूप में दिनांक _____ को प्रखण्ड संसाधन केंद्र
 सामन्वयिक _____ (जो इसके बाद प्रथम पक्ष के नाम से संबोधित
 होंगे) और विद्यालय शिक्षा समिति _____
 _____ (जो इसके बाद द्वितीय पक्ष के नाम
 से संबोधित होंगे) के बीच _____
 उल्लेख) करने के लिए निम्नलिखित शर्तों पर एकराजनामा बनाया जाता है।

2. ठेके की कीमत :- कार्य की कुल लागत (जो इसके बाद " कुल लागत " कहा जावेगा
 _____ (शब्दों में _____) है।

3. निधि आवंटन :-

3.1 द्वितीय पक्ष द्वारा समिति के नाम से जो खाता खोला गया है जिसका संचालन प्रधानाध्यापक तथा सचिव के
 हस्ताक्षर से हो रहा है, उसी खाते में इस कार्य की राशि जमा की जायेगी। राशि प्रखण्ड संसाधन केंद्र के
 माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

3.2 प्रथम पक्ष द्वारा निर्माण कार्य के लिए भुगतान निम्नलिखित रूप में निर्वत किया जायेगा :-

| | अतिरिक्त कम्सा एवं अन्य स्कीम (प्राक्कलित लागत का % के रूप में) | सौभालय (प्राक्कलित लागत का % के रूप में) |
|----------------|--|---|
| 1. प्रथम किरात | 75% | 75% |
| 2. अंतिम किरात | 25% | 25% |

3.3 प्रत्येक चरण का भुगतान विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा दिये गये खर्च का ब्यौचा (S.O.E.) और भावी
 प्रतिशत (M.B.) में जो कम होगा उसे मानते हुए पिछली निर्वत राशि का कम से कम 75 प्रतिशत और
 इसके पूर्व में निर्वत राशि का 100 प्रतिशत खर्च कर दिया गया है, प्रथम पक्ष द्वारा अवले चरण की राशि
 निर्वत की जायेगी।

4. खाता का संचालन:- द्वितीय पक्ष द्वारा समय पर कार्य करने के लिए किये गये पुनर्गठन के खर्च का अलग खाता खोला जायेगा यह खाता प्रथम पक्ष के या अन्य दलों के भ्रमण के समय जो इस कार्य के निरीक्षण के लिए प्रतिभियुक्त होंगी, निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करना होगा।

4.1 निधि के दुरुपयोग करने पर प्रथम पक्ष को आवश्यक पूछताछ एवं अन्वेषण जो आवश्यक प्रतीत हो, के उपरान्त प्रथम पक्ष को निर्माण समिति का खाता जप्त करने का अधिकार होगा।

5. कार्य पूरा करने की अवधि:-

इस एकरारनामा की तिथि से.....(महिना, सप्ताह/दिन) में कार्य पूरा कर लिया जायेगा विशेष परिस्थिति में दोनों पक्षों के लिखित सहमति से इस कठिना उल्लेखित समय अवधि में विस्तार किया जा सकता है।

6. प्रथम पक्ष का कर्तव्य और उत्तरदायित्व :-

6.1 प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष को प्राकरूप के अनुसार कार्य कराने के लिए नियमित मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होगा। प्राकरूप के अनुसार निर्माण और निर्माण से संबंधित सामानों की गुणवत्ता की जाँच करने के लिए प्रथम पक्ष के प्राधिकृत कर्मी निर्माण स्थल का नियमित भ्रमण करेंगे और लिखित मार्गदर्शन भी देंगे।

6.2 प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष का प्रस्तावित कार्य के लिए नक्शों की एक प्रतियाँ प्राकरूप और मार्गदर्शन देगा।

6.3 जिला परियोजना अभियंता या परियोजना प्राधिकारी के अधिकृत ऐसे अन्य व्यक्ति प्रखण्ड स्तर पर संबंधित कनीय अभियंता एवं समिति के प्रतिनिधि के साथ सप्ताह में एक दिन (प्रत्येक परियोजना के लिए अवधि में सुधार किया जा सकता है।) बैठक करेंगे और निर्माण स्थल के प्रभारी कनीय अभियंता कार्य प्रगति का अद्यतन खाता और कार्य में होने वाली कठिनाईयों का उल्लेख करेंगे जो संबंधित समिति के सचिव द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होगा। निर्माण कार्य का लेखा-जोखा करने के लिए पूरी टीम संयुक्त रूप से किसी भी निर्माण स्थल का निरीक्षण कर सकती है।

6.4 एकरारनामा में उल्लेखित किये गये किसी भी शर्तों की अवहेलना करने पर या कार्य स्वरूप के अनुसार कार्य नहीं करने पर प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह निर्माण के दौरान किसी भी समय पर कार्य को रोक या स्थगित कर सकता है और पुनर्गठन किये गये शक्ति को पुनः वापस करने की मांग कर सकता है।

7. द्वितीय पक्ष के अधिकार और कर्तव्य :-



सर्व शिक्षा अभियान, औद्योगिक एकरनामा प्रपत्र

1 यह एकरनामा प्रपत्र, एकरनामा के रूप में दिनांक को प्रखण्ड संसाधन केन्द्र सम्पन्नक (जो इसके बाद प्रथम फल के नाम से संबोधित होगा) और विद्यालय शिक्षा समिति (जो इसके बाद द्वितीय फल के नाम से संबोधित होगा) के बीच निर्माण कार्य (कार्य के नाम का उल्लेख) करने के लिए निम्नलिखित शर्तों पर एकरनामा बनाया जाता है।

2. ठेके की कीमत :- कार्य की कुल लागत (जो इसके बाद "कुल लागत" कहा जायेगा) (शब्दों में) है।

3. भिषि आवंटन :-

3.1 द्वितीय फल द्वारा समिति के नाम से जो खाता खोला गया है जिसका संचालन प्रखण्डाध्यक्ष तथा भविष्य के हस्तक्षर से हो रहा है, उसी खाते में इस कार्य की राशि जमा की जायेगी। राशि प्रखण्ड संसाधन केन्द्र के माध्यम से संपन्नक कसवी जायेगी।

3.2 प्रथम फल द्वारा निर्माण कार्य के लिए भुगतान निम्नलिखित रूप में निर्गत किया जायेगा :-

| | अतिरिक्त कमरा एवं अन्य रखीय (प्राक्कलित लागत का % के रूप में) | सौचालय (प्राक्कलित लागत का % के रूप में) |
|----------------|--|---|
| 1. प्रथम किरात | 75% | 75% |
| 2. अंतिम किरात | 25% | 25% |

3.3 प्रत्येक चरण का भुगतान विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा दिये गये खर्च का म्यौरा (S.O.E.) और मापी पुस्तिका (M.B.) में जो कम होगा उसे मन्गते हुए पिछली निर्गत राशि का कम से कम 75 प्रतिशत और इसके पूर्व में निर्गत राशि का 100 प्रतिशत खर्च कर दिया गया है, प्रथम फल द्वारा भगते चरण की राशि निर्गत की जायेगी।

(31)

4. खाता का संधारण:- द्वितीय पक्ष द्वारा समय पर कार्य करने के लिए किये गये पुनर्गठन के खर्च का अलग खाता रखना। यह खाता प्रथम पक्ष के या अन्य दलों के प्रभुत्व के समय जो इस कार्य के निरीक्षण के लिए प्रतिनिधित्व होगी, निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करना होगा।

4.1 निधि के दुरुपयोग करने पर प्रथम पक्ष को आवश्यक पुनर्गठन एवं अप्पेचन जो आवश्यक प्रतीत हो, के उपरान्त प्रथम पक्ष को निर्माण समिति का खाता जप्त करने का अधिकार होगा।

5. कार्य पूरा करने की अवधि:-

इन एकरारनामा की तिथि से.....(महिना, सप्ताह/दिन) में कार्य पूरा कर लिया जायेगा विशेष परिस्थिति में दोनों पक्षों के लिखित सहमति से इस कठिना उल्लेखित समय अवधि में विस्तार किया जा सकता है।

6. प्रथम पक्ष का कर्तव्य और उत्तरदायित्व :-

6.1 प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष को प्रारूप के अनुसार कार्य कराने के लिए नियमित मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होगा। प्रारूप के अनुसार निर्माण और निर्माण से संबंधित सामानों की गुणवत्ता की जाँच करने के लिए प्रथम पक्ष के प्राधिकृत कर्मी निर्माण स्थल का नियमित भ्रमण करेंगे और लिखित मार्गदर्शन भी देंगे।

6.2 प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष का प्रस्तावित कार्य के लिए नदों की एक प्रतिवों प्रारूप और मार्गदर्शन देगा।

6.3 जिला परिषद/उप-अभियंता या परियोजना प्राधिकारी के अधिकृत ऐसे अन्य व्यक्ति प्रखण्ड स्तर पर संबंधित कर्मीय अधिकार एवं समिति के प्रतिनिधि के साथ सप्ताह में एक दिन (प्रत्येक परियोजना के लिए अवधि में सुधार किया जा सकता है।) बैठक करेंगे और निर्माण स्थल के प्रभारी कर्मीय अभियंता कार्य प्रगति का अद्यतन ब्यास और कार्य में होने वाली कठिनाईयों का उल्लेख करेंगे जो संबंधित समिति के सचिव द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होगा। निर्माण कार्य का लेखा-जोखा करने के लिए पूर्ण टीम संयुक्त रूप से किसी भी निर्माण स्थल का निरीक्षण कर सकती है।

6.4 एकरारनामा में उल्लेखित किये गये किसी भी शर्तों की अवहेलना करने पर या कार्य स्वरूप के अनुसार कार्य नहीं करने पर प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह निर्माण के दौरान किसी भी स्तर पर कार्य को रोक या स्थगित कर सकता है और पुनर्गठन किये गये शक्ति को पुनः कप्त करने की मांग कर सकता है।

7. द्वितीय पक्ष के अधिकार और कर्तव्य :-

32

सर्व शिक्षा अभियान, औरंगाबा

एकराखनामा प्रपत्र



1. यह एकराखनामा प्रपत्र, एकराखनामा के रूप में दिनांक को प्रथम संसाधन केन्द्र समन्वयक (जो इसके बाद प्रथम पक्ष के नाम से संबोधित होंगे) और विद्यालय शिक्षा समिति (जो इसके बाद द्वितीय पक्ष के नाम से संबोधित होंगे) के बीच (कार्य के नाम का उल्लेख) करने के लिए निम्नलिखित शर्तों पर एकराखनामा बनाया जाता है।

2. ठेके की कीमत :- कार्य की कुल लागत (जो इसके बाद " कुल लागत " कहा जायेगा) है।

3. निधि आवंटन :-

3.1 द्वितीय पक्ष द्वारा समिति के नाम से जो खाता खोला गया है जिसका संभालन प्रशासनाध्यक्ष तथा सचिव के हस्ताक्षर में हो रहा है, उसी खाते में इस कार्य की राशि जमा की जायेगी। राशि प्रथम संसाधन केन्द्र के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

3.2 प्रथम पक्ष द्वारा निर्माण कार्य के लिए मुगतान निम्नलिखित रूप में निर्गत किया जायेगा -

| | अतिरिक्त कर्मत एवं अ-प स्कीम (प्राक्कलित लागत का % के रूप में) | शौचालय (प्राक्कलित लागत का % के रूप में) |
|---------------|---|---|
| 1. प्रथम किरत | 75% | 75% |
| 2. अंतिम किरत | 25% | 25% |

3.3 प्रत्येक चरण का वृत्तान विभाजनक-विद्या समिति द्वारा दिये गये खर्च का ब्यौता (S.O.B.) और मापी पुस्तिका (M.B.) में जो कम्प्यूटर के माफ़े हुए पिछली निर्गत राशि का कम से कम 75 प्रतिशत और इसके पूर्व में निर्गत राशि का 100 प्रतिशत खर्च कर दिया गया है, प्रथम पक्ष द्वारा अगले चरण की राशि निर्गत की जायेगी।

- अधिक मूल्य प्राप्त करने के लिए जारी है

जिला शिक्षा अधीक्षक औरंगाबाद
(बिहार)

विषय :- द्वितीय अंशिम के सम्बन्ध में ;

सहाय्य,

सविनय निवेदन इस प्रकार है कि प्राथमिक विद्यालय वासा विंगल, पीई (मदनपुर) को सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रथम किस्त के रूप में 119925-00 (एक लाख उन्नीस हजार नौ सौ पच्चीस रुपये) मिले थे जिसमें एक कमरा और बरामदा की डलाई का कार्य पूर्ण रूप से सम्पन्न हो गया है। उपरोक्त राशि में से 118900 रुपये (एक लाख अठारह हजार नौ सौ रुपये मात्र) स्वर्च हो गया है जिसका भाग्य पुस्तिका भी उपलब्ध है कि द्वितीय किस्त का शिष्टा विमुक्त करने की कृपा करे, ताकि विद्यालय का अन्य कार्य शिष्टता से किया जा सके।

क्र. क्र. अधीक्षक औरंगाबाद
श्री. श्री. वासा विंगल में एक कमरा
श्री. बरामदा का निर्माण कार्य डलाई तक
पूर्ण हो गया है
अतः उपरोक्त किस्त शीघ्र शिष्टता से
होसनी है।
सचिव
पुस्तकालय औरंगाबाद-15
21.6.2016

अमित कुमार
जिला अधीक्षक
औरंगाबाद

सेवा में
जिसमें शिक्षा अखिलक मनीष्य
औरंगाबाद (मिहार)

विषय - श्री विद्या अखिल भारतीय औरंगाबाद के अन्तर्गत एक
कमरा लगभग सहित के निर्माण कार्य पूर्ण होने के
उपरांत अन्तिम अंशदान निर्माण करने के सम्बन्ध में।

महोदय,
विद्यालय शिक्षा विभाग, 20/9/06 दिनांक काठमा विद्यालय
लेड मदनपुर की ओर से निवेदन करते हुए कहना है कि श्री विद्या
अखिल भारतीय औरंगाबाद के अन्तर्गत विद्यालय के नाम से एक
कमरा लगभग सहित निर्माण का कार्य शीघ्र तथा
था और पूर्ण रूप से बन गया है। अन्तिम के सदस्यों ने
इसकी उन्नतता की जांच कर ली है। कार्य प्राकृतिक के अनुसार
होना है। इसपर सभी ने सहमति जताई है। कार्य के किसी
प्रकार की रुकी नहीं गई।

विद्यालय के भवन के निर्माण का
आय व्यय का दायारा सहित है, इस पर सबोंने अपनी
सहमति व्यक्त की है। इस भवन की प्राकृतिक सहित
1,59,000 (एक लाख पचास हजार) है। जिसमें से कमरा निर्माण
सहित दो कमरों में कमरा 1,19,925-00 रुतम 24,000 रुतम
प्राप्त हो चुके हैं, और अन्तिम शक्ति रहे गया है।

अतः आपसे करवट पूरना
है कि और अन्तिम शक्ति का अंशदान करने की रूपा करे,
इसके लिए मैं आपका बड़ा आभारी रहूँगा।

आपका विश्वासु
संतोष कुमार
पुष्पान विद्यालय
20/9/06 दिनांक काठमा विद्यालय
दिनांक - 18-09-06

श्री विद्या अखिल भारतीय
औरंगाबाद
159,900 रुतम
अन्तिम अंशदान
श्री विद्या अखिल भारतीय
औरंगाबाद
दिनांक 18-09-06

श्री विद्या अखिल भारतीय
औरंगाबाद
दिनांक 18-09-06

श्री विद्या अखिल भारतीय
औरंगाबाद
दिनांक 18-09-06

श्री विद्या अखिल भारतीय
औरंगाबाद
दिनांक 18-09-06

श्री विद्या अखिल भारतीय
औरंगाबाद
दिनांक 18-09-06

श्री विद्या अखिल भारतीय
औरंगाबाद
दिनांक 18-09-06

श्री विद्या अखिल भारतीय
औरंगाबाद
दिनांक 18-09-06

राजकीय प्राथमिक स्तर काया विकास
कीर्ति मदनपुरा

कार्यालय जिला शिक्षा
विद्यालय शिक्षा

सदस्य :

दिनांक 18.09.2026

- 1 उपस्थित हुए 10 सदस्य
- 2 उपस्थित हुए 10 सदस्य
- 3 उपस्थित हुए 10 सदस्य
- 4 उपस्थित हुए 10 सदस्य
- 5 मौला सिंह

- 6 [Redacted]
- 7 [Redacted]
- 8 [Redacted]
- 9 [Redacted]
- 10

आज दिनांक 18.09.2026 को काया विकास में 10 वें वृत्त राजकीय प्राथमिक विद्यालय काया विकास कीर्ति मदनपुरा के प्रधान के विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष को काया विकास में एक बैठक हुई, जिसमें उपस्थित उपस्थित उपस्थित हुए।

उपस्थित उपस्थित के निम्न प्रकार का किया।

प्रस्ताव पेश करने पर उपस्थित उपस्थित के अनुरोध निर्मित एक काया विकास समिति के निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त काया विकास को जैप कोषाई 1 जैप में कार्य करे और एक काया विकास 1 इस्को किसी प्रकार की मदद नहीं करे जैप कोषाई में उपस्थित उपस्थित उपस्थित।

प्रस्ताव पेश करने पर उपस्थित उपस्थित के अनुरोध निर्मित काया विकास जिला जिला अधीनस्थ और उपस्थित काया विकास जैप किया गया।

प्रस्ताव पेश करने पर उपस्थित उपस्थित के अनुरोध एक काया विकास समिति के निर्माण कार्य 1.19.925 और उपस्थित उपस्थित उपस्थित उपस्थित काया विकास का जैप पर कार्य किया गया।

मौला सिंह
सचिव 18.09.2026

अध्यक्ष
जयन्त

दिनांक 11/02/24
 पृष्ठ संख्या 24/0000
 पृष्ठ संख्या 1/2/24
 पृष्ठ संख्या 1/2/24

अधीक्षक, औरंगाबाद
समिति पंजी

आवृत्त नं. 1/2/24

| विवरण | प्रमाण | दर | कुल मूल्य |
|---|------------|-----------|------------|
| 1) शिफ्ट | 10,000 टें | 500.00 | 5,000.00 |
| 2) शिफ्ट | 15,000 टें | 150.00 | 2,250.00 |
| 3) शिफ्ट (सहकारिता विभाग) पुरवठा के काम | 3,000 टें | 300.00 | 900.00 |
| 4) ईट | 10,000 टें | 150.00 | 1,500.00 |
| 5) ईट वि. म. लावे के काम | 10,000 टें | 300.00 | 3,000.00 |
| 6) ईट | 11,500 टें | 215.00 | 2,472.50 |
| 7) सींग | 2,000 टें | 23.00 | 46,000.00 |
| 8) तार | 3,000 टें | 36.00 | 1,080.00 |
| 9) शिफ्ट | 1,500 टें | 142.00 | 213,000.00 |
| 10) ईट वि. म. लावे के काम | 1,000 टें | 180.00 | 1,800.00 |
| 11) लॉग | 40 टें | 40.00 | 1,600.00 |
| 12) फर्श में डीपिंग + पेंटिंग | 2,300 टें | 230.00 | 529,000.00 |
| 13) पेंटिंग वि. म. लावे के काम | 100 टें | 100.00 | 100.00 |
| 14) लौहा के विनास + रिपेरी - 3 टें | 35.00 | 19,350.00 | |
| 15) लौहा वि. म. लावे के काम - विनास | 300.00 | 300.00 | |
| 16) सर्किटिंग सिग्नल + फौटो ग्राफी - | 1,050.00 | 1,050.00 | |
| 17) SUPERVISION charge - पुनर्निर्माण काम | 3,600.00 | 3,600.00 | |
| 18) आन्वयती | | | 45,756.00 |

167,335.00
 (शुद्ध लागत संदर्भ के लिए ही है)

आवृत्त-धन का उद्योग प्रस्ताव वि. म. लावे के काम के अर्थ में औरंगाबाद जिले के आद. म. म. की कार्यवाही के लिए है।

पंजीय कुमार
 पदेन सदस्य

सर्व शिक्षा अभियान, आर-14-11

खर्च की गई राशि का विवरण

राज्य शिक्षा बोर्ड, दिल्ली

आयुक्त, शिक्षा

निम्नलिखित विवरण पर आधारित -

| क्र.सं. | विवरण | आयुक्त सहाय | परिचालक | मूल्य | दर | कुल राशि | अनुचित |
|---------|-------|-------------|---------|-------|-----|----------|--------|
| 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 7 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 8 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 9 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 10 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 11 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 12 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 13 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 14 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 15 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 16 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 17 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 18 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 19 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 20 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 21 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 22 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 23 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 24 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 25 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 26 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 27 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 28 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 29 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 31 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 32 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 33 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 34 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 35 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

कुल मूल्य ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

37

सर्व शिक्षा अभियान, आर.आर.आर.

सर्व शिक्षा अभियान, आर.आर.आर.

सर्व शिक्षा अभियान, आर.आर.आर.

सर्व शिक्षा अभियान, आर.आर.आर.

सर्व शिक्षा अभियान, आर.आर.आर.

सर्व शिक्षा अभियान, आर.आर.आर.

सर्व शिक्षा अभियान, आर.आर.आर.

| क्र.सं. | विवरण | प्रमाण | मूल्य | कुल |
|---------|-------|--------|-------|-----|
| 1 | ... | ... | ... | ... |
| 2 | ... | ... | ... | ... |
| 3 | ... | ... | ... | ... |
| 4 | ... | ... | ... | ... |
| 5 | ... | ... | ... | ... |
| 6 | ... | ... | ... | ... |
| 7 | ... | ... | ... | ... |
| 8 | ... | ... | ... | ... |
| 9 | ... | ... | ... | ... |
| 10 | ... | ... | ... | ... |
| 11 | ... | ... | ... | ... |
| 12 | ... | ... | ... | ... |
| 13 | ... | ... | ... | ... |
| 14 | ... | ... | ... | ... |
| 15 | ... | ... | ... | ... |
| 16 | ... | ... | ... | ... |
| 17 | ... | ... | ... | ... |
| 18 | ... | ... | ... | ... |
| 19 | ... | ... | ... | ... |
| 20 | ... | ... | ... | ... |
| 21 | ... | ... | ... | ... |
| 22 | ... | ... | ... | ... |
| 23 | ... | ... | ... | ... |
| 24 | ... | ... | ... | ... |
| 25 | ... | ... | ... | ... |
| 26 | ... | ... | ... | ... |
| 27 | ... | ... | ... | ... |
| 28 | ... | ... | ... | ... |
| 29 | ... | ... | ... | ... |
| 30 | ... | ... | ... | ... |
| 31 | ... | ... | ... | ... |
| 32 | ... | ... | ... | ... |
| 33 | ... | ... | ... | ... |
| 34 | ... | ... | ... | ... |
| 35 | ... | ... | ... | ... |
| 36 | ... | ... | ... | ... |
| 37 | ... | ... | ... | ... |
| 38 | ... | ... | ... | ... |
| 39 | ... | ... | ... | ... |
| 40 | ... | ... | ... | ... |
| 41 | ... | ... | ... | ... |
| 42 | ... | ... | ... | ... |
| 43 | ... | ... | ... | ... |
| 44 | ... | ... | ... | ... |
| 45 | ... | ... | ... | ... |
| 46 | ... | ... | ... | ... |
| 47 | ... | ... | ... | ... |
| 48 | ... | ... | ... | ... |
| 49 | ... | ... | ... | ... |
| 50 | ... | ... | ... | ... |

...

...

...

...

...

...

18

| क्र. सं. | दिनांक | वस्तु का नाम | आपूर्तिकर्ता का नाम | अभिन्न संख्या | मात्रा | दर | कुल राशि |
|------------|----------|------------------|---------------------|---------------|---------|---------|----------|
| 22 | 10-9-05 | एन. एम. एल. 1351 | T.N. एम. एल. 1351 | 10 | 2000kg | 1300.00 | 2600.00 |
| 23 | 11-9-05 | खीर | कैलाश सि. ए. | 11 | 200लीटर | 40.00 | 8000.00 |
| 24 | 22-9-05 | खीर | सुजा सि. ए. ए. ए. | 12 | 355kg | 2100.00 | 7455.00 |
| 25 | 22-9-05 | खीर | " | " | 90kg | 2500.00 | 2250.00 |
| 26 | 22-9-05 | खीर | " | " | 05लीटर | 142.00 | 710.00 |
| 27 | 22-9-05 | खीर | सुजा सि. ए. ए. ए. | " | 20लीटर | 400.00 | 800.00 |
| 28 | 06-10-05 | खीर | सुजा सि. ए. ए. ए. | 13 | 2000kg | 1500.00 | 3000.00 |
| 29 | 06-10-05 | खीर | T.N. एम. एल. 1351 | " | 2000kg | 300.00 | 600.00 |
| 30 | 06-10-05 | खीर | सुजा सि. ए. ए. ए. | 14 | 3000kg | 1500.00 | 4500.00 |
| 31 | 06-10-05 | खीर | T.N. एम. एल. 1351 | " | 3000kg | 300.00 | 900.00 |
| 32 | 06-10-05 | खीर | सुजा सि. ए. ए. ए. | 15 | 3000kg | 800.00 | 2400.00 |
| 33 | 06-10-05 | खीर | कैलाश सि. ए. | 16 | 05लीटर | 40.00 | 200.00 |
| 34 | 07-10-05 | खीर | सुजा सि. ए. ए. ए. | 17 | 74kg | 142.00 | 10732.00 |
| 35 | 07-10-05 | खीर | " | " | 350kg | 2150.00 | 7525.00 |
| 36 | 07-10-05 | खीर | " | " | 10kg | 36.00 | 360.00 |
| 37 | 07-10-05 | खीर | सुजा सि. ए. ए. ए. | " | 35 | 300.00 | 300.00 |
| 38 | 30-9-05 | खीर | सुजा सि. ए. ए. ए. | 18 | 35लीटर | 142.00 | 4970.00 |
| 39 | 30-9-05 | खीर | सुजा सि. ए. ए. ए. | 19 | 100लीटर | 03.00 | 300.00 |
| 40 | 30-9-05 | खीर | सुजा सि. ए. ए. ए. | " | 300.00 | 300.00 | |
| कुल योग :- | | | | | | | 93113.42 |

उपरोक्त विवरण सही है कि - 1. सभी अभिन्न एवं मास्टर रील गार्ड फाईल में संधारित है।
 2. वही बुक गार्ड का प्रयोग किया जा रहा है, जिनके संधारित कर लिया गया है।
 3. उपरोक्त सभी वस्तुओं का खर्च किसा समिति द्वारा धरित कर लिया गया है, जो कि कार्यवाही वही के पृष्ठ सं- 10 में संधारित है।
 4. सभी अभिन्न एवं मास्टर गार्ड का प्रयोग के पात्र सुरक्षित है जिसे आवश्यकता पड़ने पर देखा जा सकता है।

मुद्रांकित 15/10/05
 सचिव
 100 (100 राशि)
 Page 2
 15/10/05
 100 (100 राशि)
 15/10/05

सेवा में

जिला शिक्षा अधिकारी महोदय
औरंगाबाद (बिहार)

विषय - सर्व शिक्षा अभियान औरंगाबाद के अन्तर्गत एक
कमरा लगाने सहित के निर्माण कार्य पूर्ण होने के
उपरोक्त अंतिम अंशान निर्माण करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

विद्यालय जिला बरभारी, 20 प्राथमिक विद्यालय लामा विहा,
पोस्ट मन्दापुर को और से निवेदन करे हुए करना है कि सर्व शिक्षा
अभियान औरंगाबाद के अन्तर्गत विद्यालय के नाम से एक
कमरा लगाने सहित सहित निर्माण का कार्य सौंपा गया
था जो पूर्ण रूपेण बन गया है। बरभारी के अधिकारी ने
इसकी उपलब्धता की जांच कर ली है। कार्य एकदम के अनुसार
हुआ है। इसपर सबी ने सहमति जताई है। कार्य में किसी
प्रकार की खूबी नहीं जाई गई

विद्यालय के भवन के निर्माण का
आंश-दशम का द्योश रहि है, इस पर सबी ने अपनी
सहमति व्यक्त की है। इस भवन की प्राकृतिक शक्ति
1,59,000 (एक लाख उनसठ हजार) है। जिसमें से कमरा लगाने
सहित दो किराते में कमरा 1,19,925-00 से कम 24,000 से
प्राप्त हो चुके है, शेष अंतिम शक्ति रहे जाया है।

अतः आग्रही कर रहे प्रार्थना
है कि शेष अंतिम शक्ति का अंशान करने को कृपा करे,
इसके लिए मैं आभार वादा आभारी रहूंगा।

आपका विश्वासी
संजय कुमार
प्रधान शिक्षक
20 प्राथमिक विद्यालय (काला, पोस्ट
मन्दापुर)
दिनांक - 18.09.06

वि. शिक्षा अधिकारी
औरंगाबाद
सर्व शिक्षा अभियान
औरंगाबाद
159, 925-00 से कम 24,000
से प्राप्त हो चुके है।
शेष अंतिम शक्ति
रहे जाया है।
अतः आग्रही कर रहे
प्रार्थना है कि शेष
अंतिम शक्ति का अंशान
करने को कृपा करे,
इसके लिए मैं आभार
वादा आभारी रहूंगा।

संजय कुमार
प्रधान शिक्षक
विद्यालय जिला बरभारी
पोस्ट मन्दापुर (काला, पोस्ट
मन्दापुर)

संजय कुमार
18.09.06
अध्यक्ष
विद्यालय जिला बरभारी
पोस्ट मन्दापुर (काला, पोस्ट
मन्दापुर)

संजय कुमार
प्रधान शिक्षक
विद्यालय जिला बरभारी
पोस्ट मन्दापुर (काला, पोस्ट
मन्दापुर)



सर्व विभाग, अणुमंत्रालय, कोलकाता
Schedule XLV-Form No. 134

क्र. नि. वा. का. नि. ग. ह. (मदनपुर) Rs 159 900.00

DIVISION

एक अतिरिक्त कमरा निर्माण हेतु

SUB-DIVISION

Measurement Book

ग्राम किंवदंती विभाग DIVISION
खण्ड - मदनपुर SUB-DIVISION
एक भूखण्ड कमरा निमाणा है
कुल प्राक चलि 2.1 मि -
159300 =

MEASUREMENT BOOK

प्रमाणित किया जागा है कि
इस माप पुरत में 100 [एकरो]
पूठ है।

79
04-05
Name of Officer

23/09/05
जिला कार्यालय

Date of first entry 23.09.05
Date of last entry

Name to work—
 Situation of work—
 Agency by which work is executed—
 Date of measurement—
 No and date of agreement.
 (These four lines should be repeated at the commencement of the measurements relating to each work)

| Particulars | Details of actual measurement | | | | Contents of area |
|---|-------------------------------|---|-----------|---|------------------|
| | Lo | L | B | D | |
| 1st on Pk. Pk. 1/4. | | | | | |
| Name of work - Construction of A.C.R. one Room 3/4 verandah at P. S. Basa big ha. Block mahanpur Dist. Aurangabad | | | | | |
| Agency - P. S. Basa big ha. | | | | | |
| 1- Site clearance | | | | | |
| 2 Mens Labour @ | | | Rs 68/day | | 138.00 |
| 2- Marking 10" dia bore below ground level. | | | | | |

-- all comp. job.

| | | | |
|---|-----------|----|---------|
| 21 nos x 11 1/6" = | 241' 6" | | |
| 01 Nos 15' 11" = | 15' 11" | | |
| | 257' 5" | | |
| = 78.4 8 m @ | 30.85/ | | |
| | Rs - | | 2421.00 |
| 3- Making 43 cm dia under beam at required depth in ordinary soil | 25 Nos | | |
| @ 3270 each | | Rs | 818.00 |
| 4- Providing R.C.C. M15 (1:2:4) in pile | | | |
| $21 \times \pi/4 (0.25)^2 \times 2.5m =$ | $3.61m^3$ | | |
| $1 \times \pi/4 (0.25)^2 \times 4.85m =$ | $0.24m^3$ | | |
| Extra for beam | | | |

Continuation
 25 x 0.59 m³ = 1.48 m³

Total = 5.33 m³.

3377

| Particulars | Details of actual measurement | | | | Contents of area |
|---|-------------------------------|-----|--------------------|--------------|------------------|
| | No | L | B | D | |
| 5.33 m ³ @ | 232 | 899 | .95/m ² | | 3377 |
| | - | | | Rs. 10820.00 | |
| 5 - Providing Sand filling below ground beam | | | | | |
| 118' 5 1/2" x 22' 10" x 10" x 3" | | | | | |
| = 2019.75 cft. | | | | | |
| = 0.59 m ³ @ 93.80/m ³ | | | | | |
| | | | | Rs. 55.00 | |
| 6 - Providing 118A Bricks flat-soling below ground beam | | | | | |
| 118' 5 1/2" x 22' 10" x 10" x 3" | | | | | |
| = 2019.75 cft. | | | | | |
| = 0.54 m ³ @ 93.80/m ³ | | | | | |

| | | | | | |
|---|-----------------------|-------|----------------|-------------|--|
| | = 83 | 17 | 5 | | |
| | 7.73 m ² @ | 73.40 | m ² | | |
| | | | | Rs. 567.00 | |
| 7 - Providing Recc. M150 (1:2:4) ground beam | | | | | |
| 118' 5 1/2" x 10" x 8" | | | | | |
| = 64.89 cft. | | | | | |
| = 1.87 m ³ @ 238.40/m ³ | | | | | |
| | | | | Rs. 4387.00 | |
| 8 - Providing R/c in c.m. (1:1:6) in Plinth | | | | | |
| ... all comp. job | | | | | |
| 118' 5 1/2" x 10" x 1' 3" | | | | | |
| = 122.90 cft. | | | | | |
| Deconstruction Reinforce | | | | | |

Continuation

19206/

Sch. SLV—Form No. 134

| Particulars | Details of actual measurement | | | | Contents of area |
|---|-------------------------------|---|---|---|------------------|
| | No | L | B | D | |
| Pillar column | | | | | BF - 19906 |
| $3 \times 1'3'' \times 7/4 \times (0.83)^2$ | | | | | |
| | | | | | = 2.03 cft |
| net work | | | | | = 120.8 cft |
| = 3.43 m ² @ Rs 12.53/m ² | | | | | Rs - 4298 |
| | | | | | Rs - 499000 |
| 9 - providing 25mm | | | | | |
| D.P.C. in cement | | | | | |
| concrete (1:2:4) | | | | | |
| $118'5\frac{1}{2}'' \times 10'' = 98.32 \text{ sqft}$ | | | | | |
| = 9.14 m ² @ Rs 65.05/m ² | | | | | |
| | | | | | Rs - 594000 |
| 10 - providing 1 cm | | | | | |
| of in 2-m (1:6) for | | | | | |
| Super Structure - in | | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--------------|
| complete job | | | | |
| $118'5\frac{1}{2}'' \times 10'' \times 10''$ | | | | |
| | | | | = 987.14 cft |
| Derivation - | | | | |
| D-1 x 4' x 7' x 0'10" = 23.04 cft | | | | |
| W-3 x 4' x 5'0" x 0'10" = 50.00 cft | | | | |
| Paradeck opening | | | | |
| $28'10'' \times 10'' \times 10'' = 234.29 \text{ cft}$ | | | | |
| lintel | | | | |
| $4 \times 5' \times 10' \times 6'' = 8.30 \text{ cft}$ | | | | |
| lintel beam | | | | |
| $(8'9\frac{1}{2}'' - 20'0'') \times 0'10''$ | | | | |
| $\times 0'3'' = 14.45 \text{ cft}$ | | | | |
| | | | | 385.18 cft |
| | | | | (B) |

Continuation

Rs. 24098

| Particulars | Details of actual measurement | | | | Contents of area |
|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----|----|------------------|
| | No. | L. | B. | D. | |
| Net quantity | | | | BF | 24098 |
| 987.14 - | | 33.5 - 28 | | | |
| | | = 6.51086 cft | | | |
| = 180.55 m ³ @ Rs. | | | | | |
| 1285.045 / m ³ - - - | | | | Rs | 23845.09 |
| 11 - Providing R.C. | | | | | |
| (1:2:4) linked beam | | | | | |
| (89' 7 1/2" - 20') x 10" x 3" | | | | | |
| | | = 014.49 cft | | | |
| | | = 0.41 m ³ @ Rs. | | | |
| | | 2392.30 / m ³ - - - | | Rs | 981.00 |
| 12 - Providing MIS | | | | | |
| (1:2:4) in linked | | | | | |
| 4 x 5' 10" x 10" x 0.6" = 8.30 cft | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|-------------|--|------|---------|
| linked in veranda | | | | | |
| 29' 8" x 10' 10" x 0.6" | | = 12.81 cft | | | |
| | | 20.61 cft | | | |
| = 0.58 m ³ @ Rs 2882.35 / m ³ | | | | | |
| | | | | Rs - | 1671.76 |
| 13 - Providing R.C. | | | | | |
| MIS (1:2:4) in col. - - - | | | | | |
| in complete job: - | | | | | |
| 3 x 11' 0" x 7/6 (0.883)² | | | | | |
| | | = 17.85 cft | | | |
| = 0.51 m ³ @ 2489.10 / m ³ = Rs 1269.00 | | | | | |
| 14 - Providing Rec | | | | | |
| MIS (1:2:4) in bed block | | | | | |
| 5 x 2' 4" x 10" x 8" = 6.38 cft | | | | | |
| = 0.08 m ³ @ 2392.30 / m ³ | | | | | |
| | | | | Rs | 431.00 |

Continuation

5229585

| Particulars | Details of actual measurement | | | | Contents of area |
|--|-------------------------------|---|---|---|------------------|
| | No | L | B | D | |
| 15 - Provisioning Rec | | | | | 5229.58 |
| 63mm thick (1:2:4) in concrete | | | | | |
| chhoggia - - - - - | | | | | |
| $3 \times 5'8'' \times 1'6'' = 29.5 \text{ Sft}$ | | | | | |
| $= 2.09 \text{ m}^2$ @ Rs 364.40/m ² | | | | | |
| | | | | | Rs 768.00 |
| 16 - Provisioning Rec | | | | | |
| (1:2:4) in concrete | | | | | |
| $3 \times 10'3'' \times 2'0'' \times 2\frac{1}{2}''$ | | | | | |
| $= 12.81 \text{ Sft}$ | | | | | |
| $= 0.36 \text{ m}^3$ | | | | | |
| @ 2945.15 m ³ - Rs - 1060.00 | | | | | |
| 17 - Provisioning concrete | | | | | |
| filling in Plinth area | | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--------------|
| class room: | | | | |
| $8 \times \frac{1}{2} \times 11' \times 9' = 396 \text{ Sft}$ | | | | |
| $1 \times 1'6'' \times 9'0'' = 13.50 \text{ Sft}$ | | | | |
| Veranda: | | | | |
| $(3' \times 15' + 15'6\frac{1}{2}'') \times 4'8\frac{1}{2}''$ | | | | |
| $= 64.77 \text{ Sft}$ | | | | |
| $15'6\frac{1}{2}' \times 3'0'' = 46.63 \text{ Sft}$ | | | | |
| $7'10'' + 15'6\frac{1}{2}'' \times 4'0'' = 46.70 \text{ Sft}$ | | | | |
| 2 | | | | |
| Total | | | | 567.648 Sft. |
| $567.648 \text{ Sft} \times 1'10'' = 1040.67 \text{ Sft}$ | | | | |
| $= 29.468 \text{ m}^2$ @ Rs 93.08/m ² | | | | |
| | | | | Rs - 2764 |

Continuation

56881.25

| Particulars | Details of actual measurement | | | | Contents of area |
|--|-------------------------------|----|----|----|---|
| | No. | L. | B. | D. | |
| 18 - Providing R.C.C. | | | | | 56881.85 |
| M.S. rods in filler | | | | | |
| 32 mm slab | | | | | |
| $8' \frac{1}{2} \times 9' 9" \times 11' 10"$ | | | | | |
| | | | | | = 461.37 sqft. |
| Removal of | | | | | |
| $9' 9" \times 1' 6"$ | | | | | = 14.63 " |
| V/R. | | | | | |
| $3' 11" \times 4' 2 \frac{1}{2}" \times 7' 6 \frac{1}{2}"$ | | | | | |
| 2 | | | | | = 79.11 sqft. |
| $17' 2 \frac{1}{2}" \times 3' 8"$ | | | | | = 51.53 sqft. |
| $8' 8" \times 17' 2 \frac{1}{2}" \times 4' 10"$ | | | | | |
| 2 | | | | | = 62.68 sqft. |
| | | | | | 669.22 sqft. |
| | | | | | = 62.195 m ² @ 388.82 m ² |

| | | | | |
|--|--|--|--|---------------|
| | | | | Rs - 23809.00 |
| 19 - Providing water | | | | |
| Proof cement plaster | | | | |
| (1:3) as per L & T No 18 | | | | |
| $6.2.19 \text{ m}^2 @ \text{Rs } 51.80 / \text{m}^2$ | | | | 3221.00 |
| 20 - Providing R.C.C. | | | | |
| M.S. Rods beam (in all | | | | |
| lyft) | | | | |
| $17' 2 \frac{1}{2}" \times 10" \times 10"$ | | | | = 11.84 sqft. |
| $2 \times 8" \times 10" \times 6"$ | | | | = 12.70 sqft. |
| $2 \times 23' 8" \times 10" \times 13 \frac{1}{2}"$ | | | | = 44.19 sqft. |
| | | | | 68.35 sqft. |
| $= 1.94 \text{ m}^3 @ \text{Rs } 340 / \text{m}^3$ | | | | |
| | | | | = Rs 659.90 |

Continuation

90510.85

| Particulars | Details of actual measurement | | | | Contents of area |
|----------------------------------|-------------------------------|----|----|----|------------------|
| | No. | L. | B. | D. | |
| (85) Providing Reinforcement: | | | | BF | 90510.85 |
| (1) Pile 14 mm dia | | | | | |
| 4 Nos. x 21 x 14' 0" = | | | | | 1176 ft. |
| 4 Nos. x 17' = | | | | | 68 ft. |
| | | | | | 1244 ft. |
| = 379.26 m @ 0.62 kg/m | | | | | |
| | | | | | = 235 kg. |
| Ring - 6 mm dia | | | | | |
| 21 Nos. x 22 x $\frac{30}{12}$ = | | | | | 1155 ft. |
| 1 x 25 Nos. x $30 \frac{1}{2}$ = | | | | | 69.5 ft. |
| | | | | | 1217.5 ft. |
| = 371.2 m @ 0.22 kg/m | | | | | |
| | | | | | = 82 kg. |

| | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--|-----------|
| (ii) Girded Beam: | | | | | |
| 8 mm dia | | | | | |
| 118' 5 1/2' x 6 Nos = | | | | | 710.5 ft. |
| = 216.6 m @ 0.395 kg/m | | | | | |
| | | | | | = 86 kg. |
| 6 mm dia 178 Nos x 2' 0" | | | | | |
| | | | | | = 356 ft. |
| = 108.33 m @ 0.222 kg/m | | | | | |
| | | | | | = 24 kg. |
| (iii) Linkend band | | | | | |
| 8 mm dia | | | | | |
| 089' x 2 Nos = | | | | | 178 ft. |
| 54.25 m @ 0.12 kg/m | | | | | |
| | | | | | = 21 kg. |
| 6 mm dia 178 x 9" = | | | | | 134 ft. |
| = 40.7 m @ 0.224 kg/m | | | | | |

Continuation = 9 kg.

90510.85

| Particulars | Details of actual measurement | | | | Contents of area |
|----------------------|-------------------------------|---|---|------------|------------------|
| | No. | L | B | D | |
| (iv) Lintel | | | | | 90510.85 |
| 8 mm dia | | | | | |
| 4 nos x 4 nos x 5' = | | | | 80 ft. | |
| 24.3 m @ | | | | 0.395 kg/m | |
| | | | | = 10 kg. | |
| V/R | | | | | |
| 2' 8" x 4 nos = | | | | 118.66 ft. | |
| = 36.2 m @ | | | | 0.395 kg/m | |
| | | | | = 14 kg. | |
| 6 mm dia D/w's V/R | | | | | |
| 60 nos x 2' 0" = | | | | 120 ft. | |
| = 36.58 m @ | | | | 0.222 kg/m | |
| | | | | = 8 kg. | |
| (v) Chhajja | | | | | |
| 8 mm dia | | | | | |
| 3 x 2 nos x 2' 4" = | | | | 84 ft. | |

| | | | | | |
|----------------------|--|--|--|------------|--|
| 3 x 4 nos x 5' 0" = | | | | 60 ft. | |
| | | | | 144 ft. | |
| 44 m @ | | | | 0.395 kg/m | |
| | | | | = 17 kg. | |
| (vi) Rack | | | | | |
| 8 mm dia | | | | | |
| 3 x 4 nos x 10' 0" = | | | | 120 ft. | |
| 3 x 2 nos x 2' 4" = | | | | 146 ft. | |
| | | | | 266 ft. | |
| 81.33 m @ | | | | 0.395 kg/m | |
| | | | | = 32 kg. | |
| (vii) V/R column | | | | | |
| 12 mm dia | | | | | |
| 3 x 6 nos x 2' 0" = | | | | 216 ft. | |
| 65.85 m @ | | | | 0.888 kg/m | |
| | | | | = 58 kg. | |
| 6 mm dia | | | | | |
| 3 x 25 x 2' = | | | | 150 ft. | |
| = 15.24 m @ | | | | 0.222 kg/m | |
| | | | | = 4 kg. | |

Continuation

90510.85

Sch. SLV—Form No. 134

| Particulars | Details of actual measurement | | | | Contents of area |
|---------------------|-------------------------------|-------|----|----|------------------|
| | No. | L. | B. | D. | |
| (Viz) Beam in Room | | | | | 90510.85 |
| 20m in ch | | | | | |
| Half | | | | | |
| 2 Nos x 4 Nos | | 23'8" | | | = 187.33 ft |
| Crank | | | | | |
| 2 Nos x 2 Nos | | 25'6" | | | = 102 ft. |
| | | | | | 289.33 |
| = 88.2 m @ 2.4 kg/m | | | | | 217 kg |
| | | | | | |
| 16mm ch | | | | | |
| 2 x 2 x 23'0" | | | | | 92 ft |
| 28.04m @ 1.58 kg/m | | | | | 44 kg |
| | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|--------------|
| (Ver. beam on pillar) | | | | | |
| 6 Nos x 29'8" | | | | | = 118.64 ft. |
| 38.15m @ 1.58 kg/m | | | | | = 57 kg. |
| Ring ground | | | | | |
| Room | | | | | |
| 2 x 47 Nos x 3'10" | | | | | = 340.33 ft. |
| Ver - 1 x 35 x 3'6" | | | | | = 105 ft. |
| Ver Pill - 1 x 60 x 2'6" | | | | | = 150 ft. |
| | | | | | 615.66 ft. |
| 187.5 m 187.5 m @ 0.395 | | | | | |
| Kg/m = 74 kg | | | | | |
| (ix) Bed Plate (1.8m x 1.8m) | | | | | |
| 5 Nos x 2'2" x 4 Nos | | | | | = 43.33 ft. |
| 13.2m @ 0.395 kg/m | | | | | = 5.2 kg. |
| 6mm ch 5 x 2'10" | | | | | = 50 ft. |
| Continuation | | | | | |
| = 15.44 @ 2.2 kg/m | | | | | = 4 kg |
| 90510.85 | | | | | |

| Particulars | Details of actual measurement | | | | Contents of area |
|--------------------------|-------------------------------|----------|-------|-----|------------------|
| | No. | L. | B. | D. | |
| 11cm | (5) | 1 1/2 | 1 1/2 | 5/8 | 90510.85 |
| Total Reinforcement | | | | | |
| 100 nos 1kg | @ | 23519.88 | 8.8 | MT | 23519.88 |
| | | | | Rs | 21749.00 |
| 114070.90 | | | | | |
| Less for cost of cement | | | | | |
| 155 bag @ 143 / bag | (-) | | | | 22308 |
| Less for cost of | | | | | |
| Steel 1002 kg = 1.002 MT | (-) | | | Rs | 23559.90 |
| Less For C. P (9.09%) | | | | | |
| | (-) | | | Rs | 6199.63 |
| | | | | Rs | 61963.22 |

| | | | | |
|--------------------------|-----|--|----|-----------|
| Add cost of cement | | | | |
| | (+) | | Rs | 22308.00 |
| Add cost of steel (+) | | | | |
| | | | Rs | 23599.90 |
| Total | | | | |
| | | | Rs | 107871.12 |
| Add charge of material | | | | |
| 1) Bricks 9500 nos | | | | |
| (Lead 7K m) @ Rs | | | | |
| | | | Rs | 2554.26 |
| 2) Chips 570 cu ft | | | | |
| = 16.14 cum (Lead 10 km) | | | | |
| | | | Rs | 1970.53 |
| (22) Cement 156 bags | | | | |
| (Lead 15 km) 7.8 MT | | | | |
| | | | Rs | 808.86 |
| Continuation | | | | |
| | | | Rs | 113204.7 |

| Particulars | Details of actual measurement | | | | Contents of area |
|-------------------------|-------------------------------|---------|----|-----|------------------|
| | No. | L. | B. | D. | |
| | | | BF | As | 113204.77 |
| ix) Reinforcement | | | | | |
| 1002.00 kg (Lead 15 KM) | | | | | |
| @ Rs 103.7 / MT | | | | As | 103.90 |
| x) Sand | | 2.71144 | | cft | |
| = 7.77 cum (Lead 10 KM) | | | | | |
| @ Rs 114.05 / cum | | | | As | 886.00 |
| | | | | | |
| | | | | Rs | 114194.67 |
| | | | | | |
| | | | | | ≈ 114195.00 |
| 2.5% Supervision charge | | | | Rs | 2854.86 |
| | | | | | |
| | | | | Rs | 117049.86 |

| | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--------------------|--------|
| one lakh seven | | | | Rs | 117050 |
| thousand & | | | | | |
| fifty only | | | | | |
| checked | | | | | |
| Inspected & | | | | | |
| 2.06 | | | | Purushottam Prasad | |
| 4.2.06 | | | | 02.2.06 | |
| A.E | | | | Tech. Supervisor | |
| 10.2.06 | | | | Machanpur | |
| E.E | | | | Aurangabad. | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Continuation

| Particulars | Details of actual measurement | | | | Contents of area |
|------------------------|-------------------------------|----|----|----|------------------|
| | No. | L. | B. | D. | |
| Final Bill | | | | | |
| Name of work— | | | | | |
| Constructors of A.C.R. | | | | | |
| one room and verandah | | | | | |
| at P.S. Basabigla | | | | | |
| Block - Madanpur | | | | | |
| Dist - Aurangabad | | | | | |
| Agency - P.S. P.S. | | | | | |
| Basabigla - 2 H. M. | | | | | |
| P.S. Basabigla | | | | | |
| (1) - Providing | | | | | |
| 12 mm thick cement | | | | | |
| plaster (1:6) in cm. | | | | | |
| setting ding 1.5 mm | | | | | |

| | | | | |
|----------------------------------|--------|------|--|------------|
| Cement | 104 mm | | | |
| up to plinth | | | | |
| out side wall | | | | |
| $109'10'' \times 2' =$ | 218.66 | sqft | | |
| Skirting | | | | |
| $93'10'' \times 6'' = 9$ | 6.92 | sqft | | |
| | 266.08 | sqft | | |
| $= 24.77 m^2 @ 1451.89/m^2$ | | | | |
| | | | | Rs 1284.42 |
| (2) - Providing 12 | | | | |
| mm thick cement | | | | |
| plaster (1:6) inner | | | | |
| side of wall | | | | |
| class room | | | | |
| $8 \times 9'0'' \times 10'0'' =$ | 720 | sqft | | |
| $2 \times 1'6'' \times 10'0'' =$ | 300 | sqft | | |

Continuation

Rs 1284.42

| Particulars | Details of actual measurement | | | | Contents of area |
|-------------------------------------|-------------------------------|----|----|------------|------------------|
| | No. | L. | B. | D. | |
| | | | | BF - | 19.84 |
| Continuation item no - (21) | | | | | |
| Veranda :- | | | | | |
| 2 x 9'0" x 10'0" = | | | | 180 sqft | |
| 3 x 10 | | | | | |
| 3'10" x 10'0" = | | | | 38.30 sqft | |
| Pillar - | | | | | |
| 3 x πr^2 10" x 9'6" = | | | | 74.34 | |
| Ver. Linol - | | | | | |
| 28'10" x 1'10" = | | | | 52.76 sqft | |
| Beam :- | | | | | |
| B ₁ - 28'10" x 1'10" = | | | | 52.76 | |
| B ₂ - 15'6 1/2" x 2'6" = | | | | 38.85 | |
| B - 2 x 22' x 3'1" | | | | | |
| | | | | = 135.52 | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|-------------|--|
| Rack - | | | | | |
| 3 x 9'4" x 3'2 1/2" = | | | | 86.67 sqft | |
| | | | | | |
| | | | | 1409.14 | |
| Deductin - | | | | | |
| D - 1 x 4' x 7' = | | | | 28 sqft | |
| Skirting - as per item | | | | | |
| Mp - (2) - 46.92 | | | | | |
| children chalk board | | | | | |
| 6 x 9'6" x 1'6" = | | | | 81 sqft | |
| | | | | 153.92 sqft | |
| Net quantity - | | | | | |
| (1409.14 - 153.92) | | | | 1255.22 | |
| = 1255.22 sqft | | | | | |
| = 116.47 m ² @ Rs 37.83/m ² | | | | | |
| | | | | Rs 4406.07 | |

Continuation : Rs 5690.21

| Particulars | Details of actual measurement | | | | Contents of area |
|---|-------------------------------|----|----|----|------------------|
| | No. | L. | B. | D. | |
| | | | | BF | 5690-0 |
| (23) - Providing design material 100 A brick flat soling as per item above clear sand filling. | | | | | |
| Quantity - 567.64 sqft | | | | | |
| = 59.75 m ² | | | | | |
| @ Rs. 73.40/m ² - - - | | | | Rs | 3872.00 |
| (24) - Providing 150 mm thick dry rammed khera bael to 112 mm thick. | | | | | |
| as per item no (23) | | | | | 1387 |
| 59.75 m ² @ Rs. 73.54 | | | | Rs | 3879.00 |

| | | | | | |
|---|--|--|--|-----|---------|
| (25) - Providing 25 mm thick I.P.S. flashing as per item no (23) (Brick flat-soling) | | | | | |
| Quantity - 52.75 m ² | | | | | |
| @ Rs 82.15/m ² - - - | | | | Rs. | 4333.00 |
| (26) - S/F/F M.S. gnl. of 20x6 mm ms. flat in window 3x4'x5' = 60 sq ft @ 11.5 Kg/sqft = 90.0 kg. @ Rs 24.00/Kg. - - - | | | | | |
| | | | | Rs | 2160.00 |

Continuation

Rs 19924.00

| Particulars | Details of actual measurement | | | | Contents of area |
|---|-------------------------------|----|----|-----------------------|------------------|
| | No. | L. | B. | D. | |
| | | | | Bf | 19934 |
| (27) — S/P/F of 16 gauge C.R. Sheet in door and windows — | | | | | |
| W — 3 x 4' x 5' = 60 sq ft | | | | | |
| D — 1 x 4' x 7' = 28 sq ft | | | | | |
| | | | | = 8.18 m ² | |
| @ Rs 984.86 / m ² | | | | | |
| | | | | Rs 8049.00 | |
| (28) — Providing 16 mm dia fan mesh | | | | | |
| 1 x 3 = 3 Nos. | | | | | |
| @ Rs 35.85 / nos | | | | | Rs 108.00 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------|-----------|
| (29) — Providing three coats of white washing inner wall | | | | | |
| Rs per item no. (21) | | | | | |
| 818 (inner side wall) | | | | | |
| Quantity — | | | | | |
| 116.47 m ² + 62 = 18 | | | | | |
| | | | | = 178.66 m ² | |
| @ Rs 4.25 / m ² | | | | | Rs 757.00 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| (30) — Providing two coats of 5 mm cement over a coat of white wash. | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

Continuation

Rs 2884.00

| Particulars | Details of actual measurement | | | | Contents of area |
|-------------------------------------|-------------------------------|---|---|---|------------------|
| | No | L | B | D | |
| | | | | | 131 28 2/8 |
| Cont. 2 nd time Me. (30) | | | | | |
| 8 x 9' 9" x 10' 0" | | | | | |
| | | | | | = 780 sq. ft. |
| 3 x 10' | | | | | = 30 sq. ft. |
| | | | | | 810 sq. ft. |
| | | | | | 536 |
| Deductions — | | | | | |
| Window — | | | | | |
| 3 x 4' x 5' = 60 sq. ft. | | | | | |
| Net quantity — | | | | | |
| 810 - 60 = 750 sq. ft. | | | | | |
| 269.70 m ² | | | | | |
| @ Rs 7.35/m ² — — — | | | | | |
| | | | | | Rs 512.0 |

| | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|------------------------|
| (31) — Providing | | | | | |
| Red oxide primer | | | | | |
| on steel work | | | | | |
| Grill — | | | | | |
| 3 x 4' x 5' 0" = 60 sq. ft. | | | | | |
| Skutter — | | | | | |
| 2 x 8' 0" = 176 sq. ft. | | | | | |
| | | | | | 236 sq. ft. |
| | | | | | = 21.93 m ² |
| @ Rs 15.93/m ² — — — | | | | | |
| | | | | | Rs 349.00 |
| (32) — Providing | | | | | |
| two coats of enamel | | | | | |
| painting ready | | | | | |
| m ² | | | | | |

Continuation

Rs 29809.6

| Particulars | Details of actual measurement | | | | Contents of area |
|---------------------------|-------------------------------|------|----------------|----|------------------|
| | No. | L. | B. | D. | |
| | | | | BF | 2970.0 |
| cont. item no 32. | | | | | |
| as per items No (51) | | | | | |
| Quantities → 2 | | 1.99 | m ² | | |
| @ Rs 95.55/m ² | | | | | |
| | | | | Rs | 560.00 |
| (33) — Providing | | | | | |
| two coats enamel | | | | | |
| black / Green board | | | | | |
| children chalk board. | | | | | |
| (1'6" height - above | | | | | |
| 6" (heighting) | | | | | |
| 6' x 9' x 1'6" = 81.00 | | | | | |
| 2 x 8' x 4' = 64.00 | | | | | |
| | | | | | 145.00 sq ft. |

| | | | | | |
|----------------------------|------------------------|--|--|----|------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | = 13.67 m ² |
| @ Rs 95/m ² | | | | Rs | 1280.00 |
| (34) — wooden bench | | | | | |
| (as per volume) | | | | | |
| | | | | Rs | 250.00 |
| STEPS & RAMP | | | | | |
| Excavation | | | | | |
| (1) 4' x 4' x 10" = 13.28 | | | | | |
| 2 x 8' x 10' x 10" = 11.02 | | | | | |
| | | | | | 24.30 cu ft. |
| = 0.688 m ³ | @ Rs 30/m ³ | | | | |
| | | | | Rs | 20.64 |

Continuation

Rs 3180.00

| Particulars | Details of actual measurement | | | | Contents of area |
|----------------------------|-------------------------------|----|----|------------|------------------|
| | No. | L. | B. | D. | |
| (i) — Sand filling | | | | 8 ft | 31820 |
| 4' x 4' x 3" = | | | | 4.00 | |
| 2 x 8' x 10' x 3" = | | | | 3.22 cft | |
| | | | | 7.22 cft | |
| = 0.207 m ³ | | | | | |
| @ Rs. 93.80/m ³ | | | | | |
| | | | | Rs. 19.00 | |
| (ii) — Brick flat | | | | | |
| Soling | | | | | |
| 4' x 4' = | | | | 16 sqft | |
| 2 x 8' x 2' 4" = | | | | 37.28 sqft | |
| | | | | 53.28 sqft | |
| = 4.95 m ² | | | | | |
| @ Rs. 73.40/m ² | | | | | Rs. 368.00 |

| | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|----------|------------|
| (iv) — P.C.C. (1:3:6) | | | | | |
| 4' x 4' x 4" = | | | | 5.28 cft | |
| 2 x 8' x 10" x 4" = | | | | 4.38 cft | |
| | | | | 9.66 cft | |
| = 0.274 m ³ | | | | | |
| @ Rs. 1431.00/m ³ | | | | | Rs. 392.00 |
| (v) — Brick work | | | | | |
| (1:6) | | | | | |
| 4' x 4' x 6" = | | | | 8.00 cft | |
| 4' x 3' x 6" = | | | | 6.00 " | |
| 4' x 2' x 6" = | | | | 4.00 " | |
| 4' x 1' x 6" = | | | | 2.00 " | |
| 2 x 8' x 10" x 1' 3" = | | | | 16.6 cft | |
| | | | | 36.6 cft | |

Continuation

Rs. 32486.00

32594

| Particulars | Details of actual measurement | | | | Contents of area |
|----------------------|-------------------------------|-----------------|---------|----------------|------------------|
| | No. | L. | B. | D. | |
| | | | | B ² | 32594.0 |
| Cont. item (V) | | | | | |
| Qty — | 36.6 | cf | | | |
| = | 1.36 | m ³ | | | |
| @ Rs. | 1253.20 | /m ³ | | | |
| | | | | Rs | 1299.0 |
| (V ²) — | 25 | mm | D. P.S. | | |
| flooring in ramp. | | | | | |
| 08' x 4' = | 32.00 | Sq | | | |
| = | 2.97 | m ² | | | |
| @ Rs | 82.15 | /m ² | | | |
| | | | | Rs. | 244.0 |
| (V ²²) — | Providing | | | | |
| Plaster & Punning | | | | | |
| 4' x 6' x 6' = | 12 | Sq | | | |

| | | | | | |
|----------------------|---------|-----------------|----------------|-----|----------|
| | = | 1.12 | m ² | | |
| @ Rs | 51.83 | /m ² | | | |
| | | | | Rs | 58.00 |
| Extra work — | | | | | |
| Roof Slab Projection | | | | | |
| 6" R.C. (1:2:4) | | | | | |
| 1 x 7 x 9'9" x 6" | | | 34.125 | | |
| 1 x 17'2 1/2" x 6" | | | 8.609 | | |
| | | | 42.735 | | |
| = | 3.971 | m ² | | | |
| @ Rs | 388.82 | /m ² | | | |
| | | | | Rs | 1545.00 |
| | | | | Rs. | 35739.00 |
| Less the cost of | | | | | |
| cement | 25 bags | @ Rs | 143/bag | | |
| | | [] | Rs | | 3575 |

Continuation Rs 32,164.00

BT 156538/2

Sch. XLV-Form No. 134 31

| Particulars | Details of actual measurement | | | | Contents of area |
|---|-------------------------------|----|----|----|--------------------|
| | No. | L. | B. | D. | |
| Less sale tax | | | | | |
| AT. X 156538/2 | | | | | (-) 3131/2 |
| Royalty 1.5% | | | | | |
| 1.5% X 156538/2 | | | | | (-) 2348/2 |
| 100 | | | | | <u>Rs 151059/-</u> |
| (one Lakh fifty one thousand fifty nine only) | | | | | |
| <p>Checked in</p> <p>Vasishta</p> <p>02.08.09</p> <p>J.E.</p> | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Continuation